

एकीकृत रिपोर्ट और लेखा परीक्षित वार्षिक खाते

Integrated Report & Audited Annual Accounts 2024-25



Central Medical Services Society
Department of Health & Family Welfare
Ministry of Health & Family Welfare, Government of India

Vision

To be an efficient, transparent & professionally managed autonomous public body in the field of procurement, supply chain, logistics and management of health sector supplies in India.

दूरदर्शिता

भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र की आपूर्तियों के प्रापण, आपूर्ति श्रृंखला, लॉजिस्टिक्स और देखरेख के क्षेत्र में एक कुशल, पारदर्शी एवं पेशेवर तरीके से संचालित स्वायत्त सार्वजनिक निकाय बनना।

Mission

To procure high quality health sector goods in a transparent and cost-effective manner in line with the directives of the Government of India and ensure timely and uninterrupted supply of health sector goods & services for the citizens of the country.

मिशन

भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप उच्च गुणवत्ता की हेल्थ सेक्टर वस्तुओं की पारदर्शी एवं किफायती तरीके से प्रापण करना और देश के नागरिकों के लिए हेल्थ सेक्टर वस्तुओं एवं सेवाओं की समयबद्ध एवं निरन्तर आपूर्ति सुनिश्चित करना।

एकीकृत रिपोर्ट और
लेखा परीक्षित वार्षिक खाते

**Integrated Report &
Audited Annual Accounts 2024-25**

Central Medical Services Society
Department of Health & Family Welfare
Ministry of Health & Family Welfare
Government of India



सत्यमेव जयते



श्री जगत प्रकाश नड्डा
SHRI JAGAT PRAKASH NADDA

माननीय केन्द्रीय मंत्री

Hon'ble Union Minister

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Health & Family Welfare and Chemicals & Fertilizers, Government of India



श्री प्रतापराव जाधव
Shri Prataprao Jadhav

माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
Hon'ble Minister of State (Independent Charge)

आयुष मंत्रालय / Ministry of Ayush
व / and

माननीय राज्य मंत्री

Hon'ble Minister of State

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Health & Family Welfare, Government of India



श्रीमती अनुप्रिया पटेल
Smt. Anupriya Patel

माननीय राज्य मंत्री
Hon'ble Minister of State

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व रसायन एवं
उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Health & Family Welfare and
Chemicals & Fertilizers, Government of India

Annual Report & Annual Accounts

Sl. No.	Content	Page No.
1.	CEO's Report	7
2.	Overview	8
3.	Organisation and Infrastructure	9
4.	Major Activities and Achievements	15
5.	Resolution	16
6.	Governing Body	17
7.	SAR issued by CAG for FY 2024-25	18
8.	Management Letter	25
9.	Annual Accounts for the FY 2024-25	28

वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखा

क्रम संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	सी.ई.ओ. की रिपोर्ट	56
2.	अवलोकन	57
3.	संगठन एवं बुनियादी संरचना	58
4.	प्रमुख कार्यकलाप एवं उपलब्धियाँ	64
5.	संकल्प	65
6.	शासी निकाय	66
7.	सी.ए.जी. द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जारी एस.ए.आर.	68
8.	प्रबंधन पत्र	75
9.	वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक खाते	78

CEO's Report

On behalf of the Governing Body, I have great pleasure in presenting **the 12th Annual Report** of the Central Medical Service Society together with the audited Statement of Accounts and the CAG's report thereon for the financial year ending **31st March, 2025**.

During the financial year **2024-25**, CMSS finalized fresh procurement cases worth Rs. 6714.81 Crores, transported & delivered goods worth Rs. 2717.52 Crores from its warehouses to State Programme Consignees and released payment worth Rs. 2944.89 Crores to the suppliers. Out of Rs. 6714.81 Crores of procurement cases finalized, Rs. 6257.53 Crores (93.19%) worth of procurement is indigenously manufactured in compliance with Make-in India Programme of Government of India. In another milestone achievement, during the year, the Tender finalization time, was reduced to less than 65 days.

Some of the important procurements finalized during the year includes procurement of Vaccines worth Rs. 3634.26 Crore for Universal Immunization Programme (UIP) and another Rs. 2315.85 Crore for National Tuberculosis Elimination Programme (NTEP).

We have 18 warehouses spread across the country and located at or nearest to the State capitals. All the warehouses have been enabled with online inventory control software and material handling equipment. A panel of accredited laboratories is in place for testing the quality of pharmaceutical products.

With quality manpower, having expertise in all functional areas of supply chain, and well established procedures, which have evolved out of a decade of experience, CMSS is all geared up to deliver efficient and quality procurement services to various programs thereby playing a critical role in achieving the health security of India

(Vijay Nehra)

DG & CEO

Central Medical Services Society

Overview

- 1) Central Medical Services Society (CMSS) was raised as a fully autonomous Central Procurement Agency (CPA) in the year 2012 in Department of Health & Family Welfare. The organization was formed with a view to eliminate procurement related deficiencies and lack of professional procurement expertise in the Ministry to procure/distribute quality health sector goods in more transparent, efficient, and cost-effective manner.
- 2) CMSS, set up with one time of Rs. 50.00 Crores, has been procuring drugs, medical equipment and contraceptives for various National Health Programs since 2015.
- 3) The Additional Secretary In-charge of Procurement in the Ministry of Health & Family Welfare is ex-officio Chairman. There is a full time Director General & Chief Executive Officer, a Joint Secretary level officer responsible for overall management of Society.
- 4) CMSS on the basis of functionality is organized into Procurement Division, Logistics & Supply Chain Division, Finance Division, Quality Assurance Division & Administration Division.
- 5) CMSS has 18 warehouses located at or nearest to the State Capital having online inventory control mechanism and material handling equipment.
- 6) CMSS is focused on Quality Control measures and accredited laboratories are on panel for testing the quality of pharmaceutical products.
- 7) CMSS is a self-sustaining Autonomous Body.

Organization and Infrastructure

1.1 INTRODUCTION

CMSS is functioning as an independent, professional and autonomous agency for purchasing medicines, vaccines, contraceptives and medical equipments for all disease control programmes of the Union Health Ministry. CMSS is responsible for quality control and distribution of above mentioned health sector goods to the State Governments and UTs of India. The main objectives of CMSS are:

- To procure health sector goods efficiently
- To put in place transparent and competitive systems for procurement so that goods are procured at competitive rates.
- To put in place foolproof systems for quality control so that the user gets quality products. Quality will be the main driver limiting tender participation to the firms of high standards.
- To set up and manage an efficient supply chain.
- To put in place an MIS to prevent stock outs and excess inventory and also to reduce wastage, if not eliminate it.
- To standardize specifications, tender procedure, documents, billing and payment systems.
- To interact with the Ministry and State governments on requirement of health sector goods, their standardization and quality control.
- To give technical and managerial assistance to States on procurement and logistics.
- To deal with procurement and distribution with the service provider and the user in view and improve the system based on their feedback.
- To function with service as the prime motive rather than profit.
- To promote rational use of drugs.

1.2 LEGAL STATUS

CMSS is a registered society under the Societies Registration Act of 1860.

1.3 ORGANISATIONAL STRUCTURE

CMSS has an ex-officio Chairman, the Additional Secretary in charge of procurement in the Ministry. There is a full time DG&CEO, a Joint Secretary level officer, responsible for overall management of society. He is assisted by General Managers / Joint Directors, each responsible for the following functions:

- Procurement - 02
- Logistics & Supply Chain - 01
- Finance - 01
- Quality Assurance - 01
- Administration - 01

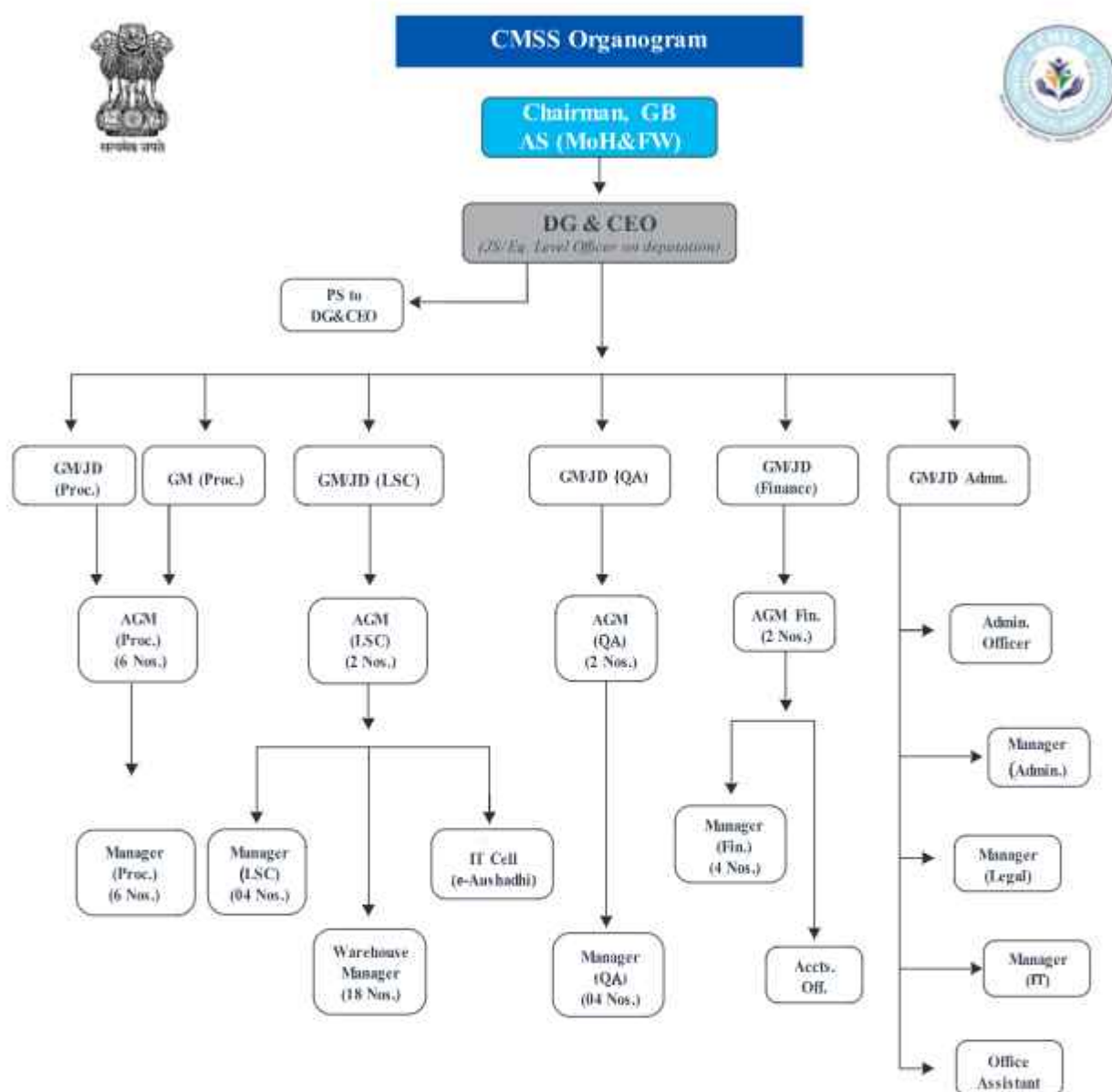
General Managers / Joint Directors are assisted by 12 Assistant General Managers. The total manpower in the head office comprises of 06 General Managers, 12 Assistant General Managers and 25 support staff (Administrative Officer, Account Officer, Managers, Private Secretary and Office Assistant).

Each CMSS warehouse is managed by one Warehouse (Pharmacist), one junior Pharmacist, one DEO & one Housekeeping Staff (Unskilled).

The management of NIC e-Office and CMSS website is through in- house CMSS staff whereas e-Aushadhi is outsourced and managed by C-DAC.

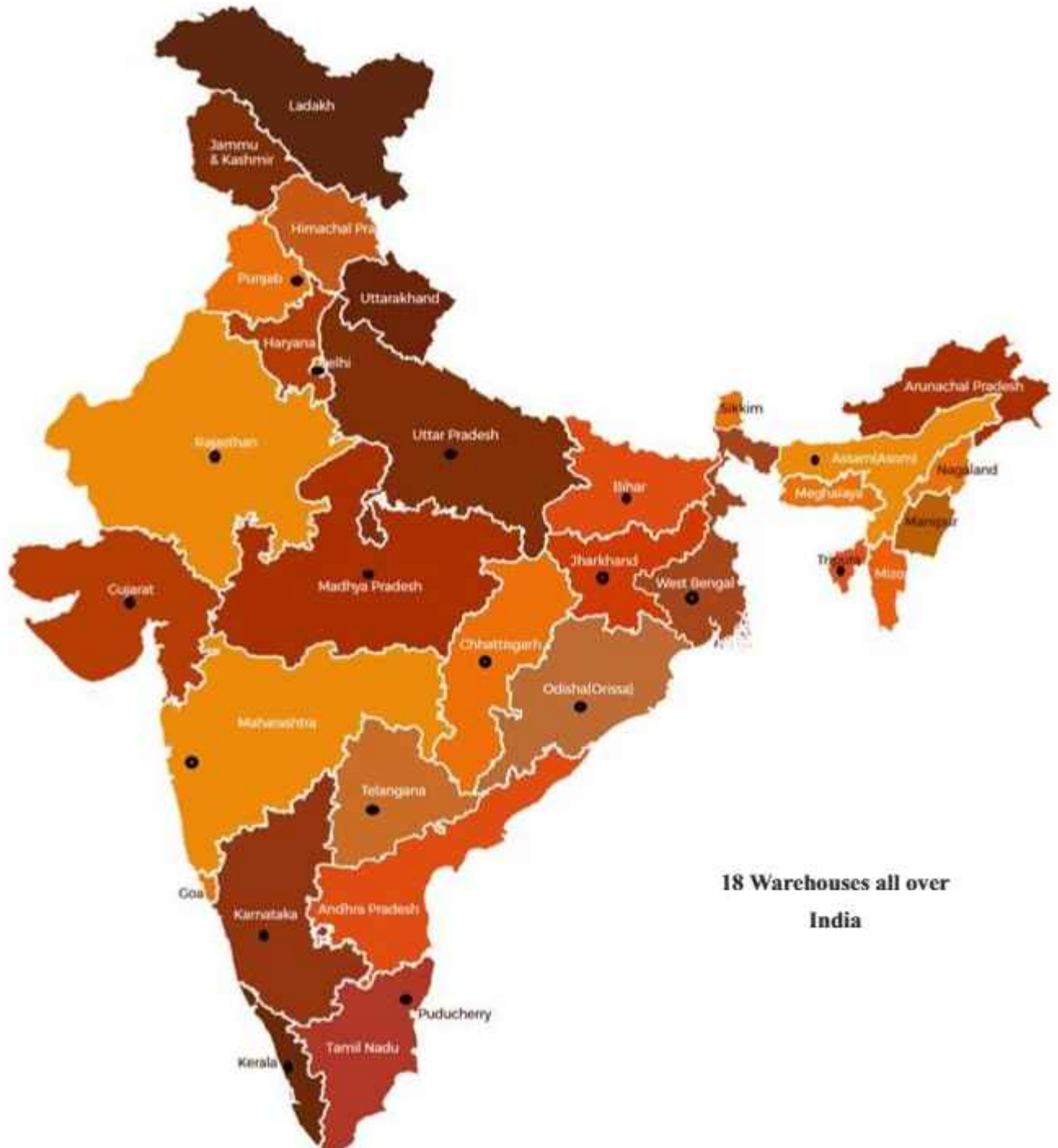
CAG empanelled Chartered Accountant Firm appointed as Internal Auditors to certify Annual Accounts before the same is placed before the Governing Body of CMSS.

The organizational structure of CMSS is as given below:



1.4 OUR FOOTPRINTS

CMSS has warehouses in 18 locations to serve all State governments and Union Territories.



1.5 LIST OF WAREHOUSES

Sr. No.	Warehouse Location	States/UTs covered by the Warehouses
1.	Agartala	Tripura, Manipur and Mizoram
2.	Ahmedabad	Gujarat
3.	Bengaluru	Karnataka
4.	Bhopal	Madhya Pradesh
5.	Zirakpur	Chandigarh, Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Uttarakhand and Jammu & Kashmir
6.	Chennai	Tamil Nadu, Pondicherry and Andaman & Nicobar Islands
7.	Bhubaneswar	Odisha
8.	Delhi	Delhi
9.	Guwahati	Assam, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Nagaland and Sikkim
10.	Hyderabad	Telangana and Andhra Pradesh
11.	Jaipur	Rajasthan
12.	Kolkata	West Bengal
13.	Lucknow	Uttar Pradesh
14.	Mumbai	Maharashtra, Goa, Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu
15.	Patna	Bihar
16.	Raipur	Chhattisgarh
17.	Ranchi	Jharkhand
18.	Trivandrum	Kerala and Lakshadweep

1.6 IT SOFTWARE

CMSS conducts its operations through a web based online inventory control system with features of complete supply chain management from CDAC.

1.7 QUALITY CONTROL

Quality is considered as the main driver in procurement undertaken by CMSS.

The aim of QA in Public Pharmaceutical Procurement / Supply System is to ensure that each medicine / product reaching to a patient is of desired quality.

CMSS adopts Pre-Dispatch Inspection for ensuring that quality medicines are received.

Apex level Govt. & NABL pre-dispatch inspection laboratories-such as AIIMS, IPC, CDTL, CIPET, IPFT, NIB, EQDC, ICMR-NARI, RMRIMS, IIBAT, Shriram Labs, Arbro, EFRAC are empanelled testing of samples.

The arrangements for testing the procured drugs are in place to ensure that quality is met in every batch that are distributed to the State and Union Territory authorities.

CMSS remains committed to its objective of ensuring quality.

1.8 PERFORMANCE PARAMETERS FOR CMSS

Based on the objectives set for CMSS, some broad performance parameters are given as below:

- (1) No drug/vaccine will be wasted on account of time expiry.
- (2) Procurement process and placing of orders should be based on a calendar and Long Term Agreement for the annual demand.
- (3) Transparent two bid procedure and standard tender documents are in place.
- (4) Payments to suppliers within 60 days from the date of receipt of bills at CMSS Head Office.
- (5) Timely handling and effective monitoring of all legal matters with a view to ensure that no adverse decisions against CMSS are passed by any court.

Major Activities and Achievements

2.1 MEETINGS OF THE GOVERNING BODY

During the Financial Year 2024-25, 12 meetings of the Governing Body from (104th to 115th GBs) 09.04.2024, 26.04.2024, 16.05.2024, 21.06.2024, 08.08.2024, 24.09.2024, 24.10.2024, 12.12.2024, 26.12.2024, 12.03.2025, 25.03.2025, 27.03.2025 and one (01) Annual General Body Meeting (AGM) were held and important procurement decisions were taken.

During the year **2024-25**, procurement cases worth **Rs. 6714.81 Crores** were finalized by the Governing Body of CMSS. Details are as below:

- Procurement of UIP for the total value of Rs. 3634.26 Crores
- Procurement of NTEP for the total value of Rs. 2315.85 Crores
- Procurement of NACO for the total value of Rs. 589.32 Crores
- Procurement of FWP for the total value of Rs. 72.98 Crores
- Procurement of NVHCP for the total value of Rs. 84.93 Crores
- Procurement of NCVBDC for the total value of Rs. 17.47 Crores

2.2 IT INITIATIVES

E-Aushadi system has been customized where in all the transactions made IT-driven from issuing of Purchase Order, Supply Receipt, Sampling/Testing and issue of stocks, thus eliminating the delays and manual errors.

NIC e-Office has also been implemented and made functional in line with Government of India initiative of digital transformation and efficient office functioning.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I - खण्ड 1

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 260]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 12, 2013/कार्तिक 21, 1935

No. 260]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 12, 2013/KARTIKA 21, 1935

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

RESOLUTION

New Delhi, the 26th October, 2013

No. S-12012/59/2011-EPW, - The Government has decided to establish a fully autonomous central procurement agency (CPA) as a society under the Societies Registration Act, 1860 for efficient procurement and distribution of health sector goods.

2. Accordingly, the Central Medical Services Society (CMSS) has been registered under the Societies Registration Act, 1860 on 22nd March 2012 vide Registration No. S/094/2012 with its Registered office at Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi - 110011.
3. The CMSS will be responsible for procuring health sector goods in a transparent and cost effective manner and distributing them to the States/UT's by setting up an IT enabled supply chain infrastructure including warehouses in 50 locations.
4. The main objective of CMSS is to ensure uninterrupted supply of health-sector goods to the State Government which will then maintain the flow to the govt. health facilities such as district hospitals, primary health centers and community health centers.
5. CMSS will follow a totally transparent process with a two bid system for procurement and all decisions on procurement will be taken by the CMSS without any reference to the Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW). The Ministry will however, be responsible for policy decisions concerning procurement and for monitoring its performance.
6. The CMSS will also assist the state governments to set up similar organizations in states to reform their procurement.

KESHAV DESIRAJU, Secy.

GOVERNING BODY

Sl.No.	Name	Designation
1	Ms. Roli Singh	AS&DG, MoH&FW & Chairperson, GB, CMSS.
2	Sh. Jai Deep Kumar Mishra	AS & FA, MoH&FW
3	Ms. V. Hekali Zhimomi	AS & DG, MoH&FW
4	Ms. Aradhana Patnaik	AS & MD, MoH&FW
5	Sh. Rajesh Gupta	DG&CEO, CMSS
6	Sh. Vijay Nehra	JS (Procurement), MoH&FW
7	Sh. Saurabh Jain	JS (NHM), MoH&FW
8	Ms. Meera Shrivastava	JS (RCH), MoH&FW
9	Dr. K.K. Tripathy	Economic Advisor, MoH&FW
10	Sh. Rajeev Singh Raghuvanshi	DCG(I), MoH&FW
11	Dr. Sandhya Kabra	Deputy Comm., NVHCP, MoH&FW
12	Dr. Tanu Jain	Director, NCVBDC, MoH&FW
13	Prof. Dr. Urvashi B. Singh	DDG (NTEP), MoH&FW
14	Dr. Pawan Kumar	Addl. Commissioner, UIP, MoH&FW
15	Dr. Shobini Rajan	DDG (NACO), MoH&FW
16	Dr. Govind Bansal	Director, FWP, MoH&FW
17	Sh. Manoj Kumar Sinha	DS (Procurement), MoH&FW
18	Dr. S.B. Deepak Kumar	Principal Secy. (Health), IAS, Delhi Govt.
19	Sh. Sudhir Rajpal	Addl. Chief Secretary, IAS, Deptt. of HFW, Govt. of Haryana, Chandigarh.
20	Sh. Thiru. M. Arvind	MD, IAS, TNMSCL, Chennai
21	Dr. Vinay Goyal	MD, IAS, KMSCL, Thiruvanthapuram
22	Ms. Neha Giri	MD, IAS, RMSCL, Rajasthan.

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा
(केन्द्रीय व्यय),
ऑडिट भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट,
नई दिल्ली-110002



SUPREMACY AUDIT INSTITUTION OF INDIA
सर्वोच्च निदेशक संस्थान
Dedicated to Truth in Public Interest

ए.एम.जी-IV/एस.ए.आर/सी.एम.स.स/2025-26/

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL
OF AUDIT (CENTRAL EXPENDITURE),
AUDIT BHAWAN, INDRAPRASTHA ESTATE,
NEW DELHI-110002

ए.एम.जी-IV/एस.ए.आर/सी.एम.स.स/2025-26/

दिनांक:

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार,
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय,
निर्माण भवन, नई दिल्ली-110001

विषय : वर्ष 2024-25 के लिए केन्द्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी, नई दिल्ली के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

नहोदया,

मैं केन्द्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 2024-25 के प्रमाणित वार्षिक लेखों की प्रति उसके प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति सहित संसद के पटल पर रखने के लिए संलग्न करती हूँ।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किये गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय, 9, टौनहलियाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124, को भेजी जाए।

कृपया यह सुनिश्चित किया जाये कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक लेखाओं को शासी निकाय (Governing Body) द्वारा अनुमोदित अवश्य करा लिया जाये तथा यह भी सुनिश्चित करें कि 2024-25 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र को संसद के पटल पर रखने से पहले सभी पूर्व वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र संसद के पटल पर प्रस्तुत किये जा चुके हों।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद एवं इसे जारी करने से सम्बन्धित सभी कार्यों को आपके निकाय द्वारा किया जाना ही अपेक्षित है। पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद जारी करते समय निम्नलिखित अस्वीकरण (disclaimer) अंकित करें।

"प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद है। यदि इस में कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।"

भवदीया,

अनुलग्नक: यथोपरि

— (एकता सिंह) —
(एकता सिंह)

उप-निदेशक (ए.एम.जी-IV)

ए.एम.जी-IV/एस.ए.आर/सी.एम.स.स/2024-25/394

दिनांक: 24.11.2024

24 NOV 2025

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति, श्री विजय नेहरा, महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, केन्द्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी, दूसरी मंजिल, विश्व युवक केंद्र, तीन मूर्ति मार्ग, पुलिस स्टेशन के सामने, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021, को आवश्यक कार्यवाही हेतु अशेषित की जाती है।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किये गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124 को भेजी जाए।

अनुलग्नक: यथोपरि

एकता सिंह
24.11.25

(एकता सिंह)

उप-निदेशक (ए.एम.जी-IV)

ए.एम.जी-IV/एस.ए.आर/सी.एम.स.स/2024-25/

दिनांक:

केन्द्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी, नई दिल्ली का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र सहित प्रधान निदेशक (स्वायत्त निकाय), भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय, 9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124 को अशेषित की जाती है।

यह पत्र महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय) के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

अनुलग्नक: यथोपरि

— एकता सिंह —

(एकता सिंह)

उप-निदेशक (ए.एम.जी-IV)

Opinion of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of Central Medical Services Society (CMSS) for the year ended 31st March 2025

Opinion

We have audited the financial statements of Central Medical Services Society (CMSS), which comprise the statement of financial position as at 31 March 2025 and the Income & Expenditure Account/Receipts & Payment Account for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies under Section 20(1) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971. The audit has been entrusted for the period upto 2027-28.

This Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards, disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions regarding compliance with the Law, Rules and Regulations (Propriety & Regularity) and efficiency cum performance aspects, etc., if any, are reported through inspection reports/ CAG's audit reports separately.

In our opinion, the accompanying financial statements of CMSS, read together with the accounting policies and Notes thereon and other matters mentioned in the Separate Audit Report, which follows, **give a true and fair view** of the financial position of CMSS as at March 31st, 2025, and (of) its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with uniform format of accounts.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with CAG's auditing regulations/standards/manuals/guidelines/guidance-notes/orders/circulars etc. Our responsibilities are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of CMSS in accordance with ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified opinion.

Responsibilities of Management for the financial statements

The Governing Body of CMSS is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with uniform format of accounts, and for internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion in accordance with CAG's auditing regulations/standards/manuals/guidelines/guidance-notes/orders/circulars etc.

For and on behalf of C&AG of India

Place: New Delhi
Date: 24.11.2025


(Saurav Kumar Jaipuriyar)
Director General of Audit
(Central Expenditure)

**Separate Audit Report on the Annual Accounts of Central Medical Services Society for
the period ended 31st March, 2025**

A. Balance Sheet

A.1 Assets

A.1.1 Current Assets, Loans & Advances etc. (Schedule-04) - ₹1395.40 crore

A.1.1.1 CMSS in the Schedule -4 "Current Assets, Loans, Advances, etc." has depicted an amount of ₹600.24 crore as Stock in trade which includes the value of expired medicines worth ₹74.03 crore (medicines worth ₹0.01 crore expired during the year 2024-25). As these expired medicines cannot be treated as goods to be supplied/ sold, these are required to be reduced from the inventory.

This resulted in overstatement of Current Assets by ₹74.03 crore, overstatement of Corpus/ Capital Fund by ₹74.02 crore and understatement of expenditure by ₹0.01 crore. Similar observation (Comment No. A.1.1.1) was issued to CMSS on accounts of CMSS for the year 2022-23 & 2023-24. However, no remedial action has been taken by the CMSS.

B. General

B.1 As on 31.03.2025, CMSS held unspent balances of ₹464.30 crore relating to various programme divisions, some of which are as early as September 2019. In addition, unspent interest earned on programme funds amounting to ₹18.78 crore and Liquidated Damages recovered from suppliers totaling ₹760.40 crore were also lying with CMSS. These amounts are payable to the respective programme divisions. Delayed procurement has resulted in the accumulation of these balances. The unspent programme funds should be utilized by completing the procurement in a timely manner, and the interest and Liquidated Damages should be refunded to the concerned divisions.

B.2 CMSS has reported ₹41.18 crore under "Advances and Other Amounts Recoverable" in schedule 4: Current Assets, Loan & Advances and ₹423.35 crore under the head "Sundry Creditors (Goods for Programme)", ₹61.94 crore under the head "Other Current Liabilities: Liquidated Damages" in schedule 2: Current Liabilities & Provision. However, it was observed that CMSS does not maintain any registers or records for the same. Although CMSS maintains its accounts in the Tally Software, the system does not provide adequate age-wise analysis and settlement status for these balances.

CMSS has reported ₹172.97 crore under the head "Sundry Debtors (Recoverable from Various Programme Divisions)" in schedule - 4: Current Assets, Loan & Advances. Out

of this amount, ₹2.85 crore pertaining for the year 2019-20 to 2021-22. CMSS needs to make continued efforts to recover these outstanding amounts.

B.3 In the Schedule-4: Current Assets, Loans, Advances etc, The CMSS has shown an amount of ₹41.89 Crore as "Advances and other amounts recoverable". However, these are carried over the years as detailed below:

(Rs. in crores)

Advances and other amount recoverable	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
Head-Lab Testing funds recoverable	12.09	11.08	7.29	4.88	3.86
Head - Transportation Charges (warehouse) recoverable	11.88	12.03	7.25	5.28	4.82
Other recoverable amount	55.36	33.66	48.03	34.35	32.51
Total					41.19

CMSS needs to make continued efforts to recover these outstanding amounts.

C. Management Letter

Deficiencies which have not been included in this Separate Audit Report have been brought to the notice of the Management through a Management Letter issued separately for remedial/corrective action.

D. Assessment of internal control

1. Adequacy of internal audit system:

There is no internal audit department in the CMSS. The Internal audit of the CMSS for the period 2024-25 was conducted by a Chartered Accountant.

2. Adequacy of internal control system:

Expired goods to be shown properly in books of accounts.

3. System of physical verification of assets:

The physical verification of fixed assets was conducted up to 31.03.2025.

4. System of physical verification of inventory:

The physical verification of inventory like books and publications, stationery and other consumable was conducted upto 31.03.2025.

5. Regularity in payment of dues

As per accounts, payment over six months in respect of statutory dues was Rs. 9.16 crore outstanding as on 31.03.2025

E. Grants-in-Aid

CMSS did not receive any Grants-in-Aid from the Ministry of Health & Family Welfare during the year 2024-25.

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा
(केन्द्रीय व्यय),
ऑडिट भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट,
नई दिल्ली-110002



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
अनुसन्धान संस्थान
Dedicated to Truth & Public Interest

ए.एम.जी-IV/एस.ए.आर/सी.एम.स.स/2025-26/

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL
OF AUDIT (CENTRAL EXPENDITURE),
AUDIT BHAWAN, INDRAPRASTHA ESTATE,
NEW DELHI-110002

ए.एम.जी-IV/एस.ए.आर/सी.एम.स.स/2024-25/398

दिनांक: 24.11.2025

सेवा में,

श्री विजय नेहरा,
महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
केन्द्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी,
दूसरी मंजिल, विश्व युवक केंद्र, तीन मूर्ति मार्ग,
पुलिस स्टेशन के सामने, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021

24 NOV 2025

विषय : वर्ष 2024-25 के लिए केन्द्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी, नई दिल्ली के लेखाओं के प्रबंधन पत्र के संबंध में।

महोदय,

केन्द्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 2024-25 के वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा इस कार्यालय द्वारा की गई है तथा पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन इस कार्यालय के पत्र संख्या: ए.एम.जी-IV/एस.ए.आर/सी.एम.स.स/2024-25/ 397- के द्वारा दिनांक: 24.11.2025 को जारी किया गया है। लेखा परीक्षा के दौरान पाई गई कुछ विसंगतियों को संलग्न अनुबंध में दर्शाया गया है।

अतः इन विसंगतियों पर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए यह अनुरोध है कि इन पर उचित सुधारात्मक कारवाई की जाये।

अनुलग्नक: यद्योपरि

भवदीया,

एकता सिंह
24.11.25

(एकता सिंह)

उप-निदेशक (ए.एम.जी-IV)

Annexure to Letter vide No. AMG-IV/SAR/CMSS/2025-26/398

1. CMSS has depicted under Schedule 13 Other Administrative Expenses "Professional charges ₹26,83,735" which includes arbitration fees of ₹10.00 lakh. The applicable GST has not been remitted to the GST department as on 31.03.2025. This should have depicted under Schedule 2: Current Liabilities and Provisions. This has resulted in understatement of Current Liabilities and overstatement of surplus due to unrecorded tax expense.
2. An amount of ₹1.60 lakh has been shown as prior period expenses. Thus, this has resulted in overstatement of expenditure and understatement of surplus of current Financial Year by like amount.
3. The scheduling of accounts of CMSS was not in conformity with the Uniform format of Accounts for the Central Autonomous Bodies (CAB's) as prescribed by CGA.
4. In schedule-2 (Current Liabilities and Provisions), under "Other Current Liabilities" the council has depicted an amount of ₹9.35 crore under the head "Security Deposits & EMDs". This amount includes Earnest Money Deposit of ₹3.81 crore which have been carried over for more than three years. CMSS should analyse the reasons for pendency and the deposits which are otherwise not pending due to any litigation shall be adjusted.
5. CMSS has an outstanding demand, on account of TDS default, of ₹1.65 lakh pertaining to previous financial years. However, these demands have neither been recognized as liabilities in the accounts nor disclosed as contingent liabilities in the notes to accounts.
6. Refund of Tax Deducted at Source (TDS) of an amount of ₹5.24 crore pertaining to the period 2013-14, 2015-16 and 2024-25 and refund of Tax Collected at Sources (TCS) ₹2.51 Lakh for the year 2024-25 is due from Income Tax Department. Necessary efforts need to be made to pursue and obtain the refund from the Department at the earliest.
7. A demand of ₹327.43 crore comprising tax of ₹82.06 crore, interest of ₹82.06 crore, and penalty of ₹ 163.31 crore was raised by the Additional Commissioner (Adjudication), Bengaluru, vide order dated 13.01.2025 for the period from September 2017 to March 2024. However, in the Notes on Accounts this demand has incorrectly been disclosed (Sl.No.2-Contingent Liabilities) as pertaining to Additional Commissioner (Adjudication), Gujrat.

8. Accounting Standard 5 - is applied in presenting profit or loss from ordinary activities, extraordinary items and prior period items in the statement of profit and loss, in accounting for changes in accounting estimates, and in disclosure of changes in accounting policies.

As per this Standard prior period items should ordinarily be routed through the Balance Sheet and not through the Income & Expenditure Accounts. CMSS has recorded certain items of prior period in the current year's Income & Expenditure accounts. The treatment contravenes the provisions of the aforesaid Accounting Standard.

9. The accounting policy of the Schedule of Significant Accounting Policies does not fulfil the disclosure requirements as prescribed in AS 15.

CENTRAL MEDICAL SERVICES SOCIETY

An Autonomous Body under Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India
 (Agency Registered under Societies Registration Act, XXI of 1860 vide Reg. No. S/094/2012 dt. 22/03/2012)
 Reg. Office: 502 A, Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi- 110001
 (PAN AABAC6275F)

BALANCE SHEET
As at 31st March, 2025

(Amount in Rs.)

Particulars	Schedule	2024-25	2023-24
<u>CORPUS /CAPITAL FUNDS AND LIABILITIES</u>			
Corpus /Capital Fund	1	4,14,82,34,206	3,05,60,45,166
Reserves and Surplus	-	-	-
Earmarked/Endowment Funds	-	-	-
Loans and Borrowings	-	-	-
Current Liabilities and Provisions	2	9,85,50,00,394	9,65,58,55,086
Total		14,00,32,34,600	12,71,19,00,252
<u>ASSETS</u>			
Fixed Assets	3	4,92,01,750	5,21,72,753
Investments	-	-	-
Current Assets, Loans, Advances etc.	4	13,95,40,32,850	12,65,97,27,499
Miscellaneous Expenditure (To the Extent not written off or Adjusted)	-	-	-
Total		14,00,32,34,600	12,71,19,00,252
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	14		
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES TO ACCOUNTS	15		

The Schedules referred to above form integral part of the Financial Statements.

For and on behalf of
 Central Medical Services Society

Sd/-
 (Debabrata Mohapatra)
 General Manager (Finance)



Sd/-
 (Vijay Nehra)
 DG & CEO

Place: New Delhi
 Date : 27-Jun-2025

CENTRAL MEDICAL SERVICES SOCIETY

An Autonomous Body under Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India
 (Agency Registered under Societies Registration Act, XXI of 1860 vide Reg. No. S/094/2012 dt. 22/03/2012)
 Reg. Office: 502 A, Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi- 110001
 (PAN AABAC6275F)

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT
for the year ended 31st March, 2025

(Amount in Rs.)

Particulars	Schedule	2024-25	2023-24
<u>INCOME</u>			
Income from Sales/Services	5	1,18,36,10,510	80,60,47,566
Value of Goods Transferred to Programme Divisions	6	27,76,02,68,909	15,25,49,29,830
Value of Goods Transferred for QC & Disposal	7	3,10,70,773	1,88,46,915
Interest Earned	8	15,12,77,700	10,62,25,087
Other Income	9	2,34,927	3,03,717
Increase/(Decrease) in stock of Finished Goods and Work-in-Progress	10	98,61,56,081	-4,03,84,876
TOTAL (A)		30,11,26,18,900	16,14,59,68,239
<u>EXPENDITURE</u>			
Purchases on behalf of Programme Divisions	11	28,77,74,95,762	15,23,33,91,869
Establishment Expenses	12	8,87,95,178	6,88,03,833
Other Administrative Expenses	13	14,74,48,090	13,72,52,183
Depreciation (Net Total at the year end - corresponding to Schedule 3)	3	66,90,830	77,24,816
TOTAL (B)		29,02,04,29,859	15,44,71,72,702
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)		1,09,21,89,041	69,87,95,538
Transfer to Special Reserve		-	-
Transfer to/from General Reserve		-	-
BALANCE BEING SURPLUS CARRIED TO CAPITAL FUND		1,09,21,89,041	69,87,95,538
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICY	14		
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES TO ACCOUNTS	15		

The schedules referred to above form integral part of the Financial Statements.

For and on behalf of
 Central Medical Services Society

Sd/-
 (Debabrata Mohapatra)
 General Manager (Finance)



Sd/-
 (Vijay Nehra)
 DG & CEO

Place : New Delhi
 Date : 27-Jun-2025

CENTRAL MEDICAL SERVICES SOCIETY

An Autonomous Body under Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India
(Agency Registered under Societies Registration Act, XXI of 1860 vide Reg. No. S/994/2012 dt. 22/03/2012)
Reg. Office: 502 A, Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi- 110001
(PAN AABAC6275F)

RECEIPT & PAYMENT ACCOUNT for the year ended 31st March, 2025

(Amount in Rs.)

RECEIPTS	2024-25	2023-24	PAYMENTS	2024-25	2023-24
I. Opening Balances			I. Expenses		
a) Cash in Hand	-	-	a) Establishment & Administrative Expenses	29,20,45,307	29,31,23,618
b) Bank Balances			II. Payments made against Advances for Procurement		
i. In Deposit accounts	5,52,78,76,890	6,13,67,33,934	a) Procurement of Medicines	27,88,63,65,661	12,29,40,07,003
ii. In Savings accounts	29,39,14,934	14,24,57,879	b) Transportation Charges	3,48,56,969	2,41,09,841
II. Advance Received for Procurement			c) Lab Testing Expenses	2,80,20,140	2,21,86,396
a) From Government of India (MoH&FW)			III. Investment and Deposits made	-	-
i. National Centre for Vector Borne Diseases Control (NCVBDC)	31,86,91,706	74,95,43,293	IV. Expenditure on Fixed Assets & Capital WIP		
ii. Family Welfare Programme (FWP)	1,22,88,91,128	68,64,35,967	a) Purchase of Fixed Assets	22,25,263	8,76,421
iii. National AIDS Control Organisation (NACO)	6,37,61,10,278	7,17,34,71,018	V. Refund of Surplus Money/Loans		
iv. National Tuberculosis Elimination Programme (NTEP)	19,74,34,88,023	4,00,43,19,530	a) To the Government of India (MoH&FW)		
v. National Viral Hepatitis Control Programme (NVHCP)	1,05,38,26,713	16,34,80,051	i. National Center for Vector Borne Diseases Control (NCVBDC)	9,22,86,030	65,52,270
vi. Universal Immunisation Programme (UIP)	60,96,85,743	82,19,73,490	ii. Family Welfare Programme (FWP)	1,73,80,998	26,31,79,886
vii. Child Health Programme (CHP)	-	2,75,17,043	iii. National AIDS Control Organisation (NACO)	18,14,34,476	4,21,06,566
b) From Other Sources			iv. National Tuberculosis Elimination Programme (NTEP)	1,77,56,46,883	1,54,49,68,343
i. Central Reserve Police Force (CRPF)	3,63,45,481	-	v. National Viral Hepatitis Control Programme (NVHCP)	40,84,76,852	3,76,50,018
ii. Border Security Force (BSF)	1,48,93,096	-	vi. Universal Immunisation Programme (UIP)	11,32,36,053	-
iii. Central Industrial Security Force (CISF)	1,78,73,703	-	vii. PM Care Fund	-	61,20,339
iv. Govt. of Chhattisgarh	2,82,80,000	-	viii. Japan International Cooperation Agency (JICA)	-	5,26,44,900
III. Income on Investments	-	-	ix. JSR Oxygen Cylinder-II	-	84,17,910
IV. Interest Received (Net of TDS)			b) To Other Sources		
a) On Bank Deposits & Savings	40,92,45,388	30,22,94,425	i. Border Security Force (BSF)	1,48,93,096	-
b) Interest on Income Tax Refund	79,87,326	35,13,922	ii. Central Industrial Security Force (CISF)	1,78,73,703	-
V. Income			iii. Central Reserve Police Force (CRPF)	2,54,80,861	-
a) Management Fee	45,38,21,591	16,37,23,121	VI. Other Payments		
b) Misc. Receipts	48,135	1,75,126	a) Security Deposits & EMD	4,19,02,476	3,21,37,976
VI. Amount Borrowed	-	-	b) Tour Advance & Imprest	48,28,256	37,98,884
VII. Any Other Receipts			VII. Closing Balances		
a) Income Tax Refund	8,25,16,445	5,40,60,348	a) Cash in Hand	-	-
b) EMD and Security Deposits	32,76,75,074	2,15,45,110	b) Bank Balances		
c) Receipt from disposal of medicines	46,067	4,27,937	i. In Deposit accounts	4,63,57,21,093	5,52,78,76,890
			ii. In Savings accounts	95,85,43,603	29,39,14,934
TOTAL	36,53,12,17,720	20,45,36,72,194	TOTAL	36,53,12,17,720	20,45,36,72,194

For and on behalf of
Central Medical Services Society

Sd/-
(Debabrata Mohapatra)
General Manager (Finance)



Sd/-
(Vijaya Nehra)
DG & CEO

Place : New Delhi
Date : 27-Jun-2025

CENTRAL MEDICAL SERVICES SOCIETY

An Autonomous Body under Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India
 (Agency Registered under Societies Registration Act, XXI of 1860 vide Reg. No. S/094/2012 dt. 22/03/2012)
 Reg. Office: 502 A, Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi- 110001
 (PAN AABAC6275F)

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET
As at 31st March, 2025

SCHEDULE 1 : CORPUS/ CAPITAL FUND

(Amount in Rs.)

PARTICULARS		2024-25		2023-24	
A.	CORPUS / CAPITAL FUND				
	Balance at the beginning of the year		3,05,60,45,166		2,35,72,49,628
	Add: Contribution towards Corpus /Capital Fund	-		-	
	Add / (Deduct) : Balance of net income /(expenditure) transferred from the Income and Expenditure Account	1,09,21,89,041	1,09,21,89,041	69,87,95,538	69,87,95,538
	BALANCE AT THE YEAR END		4,14,82,34,206		3,05,60,45,166



CENTRAL MEDICAL SERVICES SOCIETY

An Autonomous Body under Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India
(Agency Registered under Societies Registration Act, XXI of 1860 vide Reg. No. S/094/2012 dt. 22/03/2012)
Reg. Office: 502 A, Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi- 110001
(PAN AABAC6275F)

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET As at 31st March, 2025

SCHEDULE 2: CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS

(Amount in Rs.)

PARTICULARS		2024-25		2023-24	
A.	CURRENT LIABILITIES				
1)	Sundry Creditors:				
a)	For Goods				
- Programmes	4,23,34,95,054		4,61,39,22,929		
- CMSS	4,46,185	4,23,39,41,239	12,633	4,61,39,35,562	
b)	For Others				
- Programmes	79,00,883		17,39,497		
- CMSS	1,02,15,734	1,81,16,618	50,18,590	67,58,087	
2)	Advance Received From Programmes				
a)	Central Drug Standard Control Organisation (CDSCO)	5,09,49,905		4,80,52,234	
b)	National AIDS Control Organisation (NACO)	3,12,83,18,552		3,74,03,44,089	
c)	National Centre for Vector Borne Diseases Control (NCVBDC)	14,84,30,671		30,61,53,765	
d)	National Viral Hepatitis Control Programme (NVHCP)	10,08,38,999		10,27,09,168	
e)	National Tuberculosis Elimination Programme (NTEP)	70,63,09,635		4,14,25,446	
f)	Child Health Programme (CHP)	-		88,76,262	
g)	JSR - Oxygen Cylinder	22,84,974		22,84,974	
h)	PM Care Fund	60,70,68,091		62,83,42,529	
i)	National Tobacco Testing Laboratories (NTTLs)	62,00,540		54,60,719	
j)	Central Reserve Police Force (CRPF)	1,08,65,298		2,05,656	
k)	Govt. of Chhattisgarh	2,82,80,000	4,78,95,46,665	-	4,88,38,54,842
3)	Statutory Liabilities :				
a)	Overdue	5,400		5,400	
b)	Others	9,15,53,944	9,15,59,344	6,62,77,702	6,62,83,102
4)	Other Current Liabilities				
a)	Liquidated Damages	61,93,86,520		36,71,775	
b)	Security Deposits & EMDs	9,34,51,784		7,41,50,309	
c)	Other Payables	6,719		3,000	
d)	Warehouse Imprest Expenses Payable	1,03,997	71,29,49,020	63,343	7,78,88,427
TOTAL (A)			9,84,61,12,885		9,64,87,20,020
B.	PROVISIONS				
1)	Gratuity		42,59,736		35,32,523
2)	Accumulated Leave Encashment		38,60,557		28,90,481
3)	Others-				
a)	Internal Audit Fees	48,600		1,02,600	
b)	C&AG Audit Fees				
- Current Year	4,20,000			1,20,000	
- Previous Years	2,37,400			1,17,400	
c)	Legal Fees Payable	60,182		1,98,000	
d)	Vehicle Hiring Charges Payable	-		1,40,750	
e)	Telephone and Communication Expenses Payable	-		33,312	
f)	Other Expenses Payable	1,034	7,67,216	-	7,12,062
TOTAL (B)			88,87,509		71,35,066
TOTAL (A + B)			9,85,50,00,394		9,65,58,55,086



CENTRAL MEDICAL SERVICES SOCIETY

An Autonomous Body under Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India
(Agency Registered under Societies Registration Act, XXI of 1860 vide Reg. No. S/094/2012 dt. 22/03/2012)
Reg. Office: 502 A, Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi- 110001
(PAN AABAC6275F)

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET **As at 31st March, 2025**

SCHEDULE 3: FIXED ASSETS

(Amount in Rs.)															
Description		Rate of Depreciation	GROSS BLOCK				DEPRECIATION				NET BLOCK				
			Cost /Valuation as at beginning of the year	Additions during the year		Deductions during the year	Cost / Valuation at the end of the year	As at beginning of the year	On Additions during the year		On Deduction during the year	Total up to the Year-end	As at the Current Year-end	As at the Previous Year-end	
				More than 180 days	Less than 180 days				More than 180 days	Less than 180 days					
A.	FIXED ASSETS														
1.	LAND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	BUILDING														
	a) Ownership Premises	10%	4,64,19,740	-	-	-	4,64,19,740	2,62,11,965	20,20,778	-	-	-	2,82,32,743	1,81,86,997	2,02,07,775
3.	Plant, Machinery & Equipment														
	a) Equipment (Office)	15%	1,05,31,464	46,139	84,628	-	1,06,62,231	67,83,350	5,62,218	6,922	6,348	-	73,58,837	33,03,394	37,48,114
	b) Equipment (Warehouses)	10%	3,17,78,680	-	6,29,600	-	3,24,08,280	1,57,37,052	16,04,162	-	31,480	-	1,73,72,694	1,50,35,586	1,60,41,628
	c) Equipment (Warehouses)	15%	1,83,79,432	-	-	-	1,83,79,432	1,27,22,277	8,48,572	-	-	-	1,35,70,849	48,08,583	56,57,155
4.	FURNITURE & FIXTURES	10%	64,01,112	1,03,156	4,43,591	-	69,47,860	28,70,986	3,53,012	10,315	22,179	-	32,56,492	36,91,368	35,30,126
5.	COMPUTER / PERIPHERALS	40%	88,44,998	-	9,20,625	2,477	97,63,146	74,72,788	5,47,894	-	1,84,125	-	82,04,807	15,58,340	13,72,210
6.	INTANGIBLE ASSETS														
	a) Intangible Asset	25% (Note 5.4)	1,86,45,270	-	-	-	1,86,45,270	1,70,29,526	4,03,936	-	-	-	1,74,33,462	12,11,808	16,15,744
	b) E-Office (Lite)		-	-	14,94,564	-	14,94,564	-	-	-	88,890	-	88,890	14,05,674	-
TOTAL OF CURRENT YEAR			14,10,00,697	1,49,295	35,73,009	2,477	14,47,20,524	8,88,27,944	63,40,572	17,237	3,33,022	-	9,55,18,774	4,92,01,750	5,21,72,753
PREVIOUS YEAR			14,15,75,843	6,45,005	1,95,388	14,15,540	14,10,00,697	8,11,03,128	34,71,337	2,17,998	35,481	-	8,88,27,944	5,21,72,753	6,04,72,715
B.	CAPITAL WORK-IN-PROGRESS													-	-
TOTAL														4,92,01,750	5,21,72,753



CENTRAL MEDICAL SERVICES SOCIETY
An Autonomous Body under Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India
(Agency Registered under Societies Registration Act, XXI of 1860 vide Reg. No. S/094/2012 dt. 22/03/2012)
Reg. Office: 502 A, Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi- 110001
(PAN AABAC6275F)

SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS
As at 31st March, 2025

SCHEDULE 4: CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES, ETC.

(Amount in Rs.)

PARTICULARS		2024-25	2023-24
A.	CURRENT ASSETS		
1)	Inventories :		
a)	Stock-in-Trade (Programme)		
	- Finished Goods		
	Child Health Programme (CHP)	1,27,074	1,73,92,170
	Family Welfare Programme (FWP)	12,95,44,562	56,51,95,398
	National AIDS Control Organisation (NACO)	1,73,79,96,242	2,18,25,70,860
	National Centre for Vector Borne Diseases Control (NCVBDC)	25,13,08,116	22,79,71,013
	National Vector Hepatitis Control Programme (NVHCP)	28,21,61,145	12,89,95,535
	National Tuberculosis Elimination Programme (NTEP)	5,80,06,89,139	8,00,34,17,216
		1,39,630	3,09,42,36,179
			5,01,62,81,133
b)	Printing and Stationary		1,35,255
2)	Sundry Debtors :		
a)	Others (Programme)		
	- Child Health Programme (CHP)	13,63,312	13,63,312
	- Family Welfare Programme (FWP)	2,11,93,437	2,12,42,828
	- National AIDS Control Organisation (NACO)	44,64,50,258	37,13,68,132
	- National Center for Vector Borne Diseases Control (NCVBDC)	1,26,30,731	1,13,77,562
	- National Viral Hepatitis Control Programme (NVHCP)	3,55,49,231	1,13,30,418
	- National Tuberculosis Elimination Programme (NTEP)	62,02,82,060	62,19,81,280
	- Universal Immunisation Programme (UIP)	58,53,99,137	4,42,48,996
	- National Tobacco Testing Laboratory (NTTL)	-	22,04,874
	- Japan International Cooperation Agency (JICA)	-	2,13,00,000
		1,72,96,59,167	1,10,63,17,610
3)	Cash Balance in Hand (Including Cheques/Drafts & Imprest)	-	-
4)	Bank Balance :		
a)	With Scheduled Bank:		
	- On Deposit Accounts	4,63,57,21,093	5,52,78,76,890
	- On Savings Accounts	95,85,43,695	29,39,14,934
		5,59,42,64,696	5,82,17,91,824
b)	With non-Scheduled Banks	-	-
	TOTAL (A)	13,32,64,80,729	11,94,44,95,844
B.	LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS		
1)	Loans	-	-
2)	Advances and other amounts recoverable in cash or in kind or for value to be received		
a)	Prepayments		
	- Universal Immunisation Programme (UIP)	19,90,41,208	16,88,68,122
	- Family Welfare Programme (FWP)	8,14,61,040	17,46,71,617
	- Child Health Programme (CHP)	4,39,46,108	-
	- Lab Testing Charges (Programme)	3,85,76,569	4,88,42,925
	- Transportation Charges (Programme)	4,82,46,176	41,18,71,181
		35,22,620	5,27,90,298
			44,51,72,962
b)	Others		
	- Security Deposits	-	15,64,087
3)	Interest Accrued		
a)	Others		
	- On Deposits with Bank	9,14,41,343	11,62,20,724
	- On Savings Accounts	13,52,851	1,23,180
		9,27,94,171	11,83,44,104
4)	Claims Receivable		
a)	Chief Labour Commissioner (Delhi)	-	7,28,303
b)	Deputy Commissioner-GST-Govt. of Karnataka	1,62,61,608	1,62,61,608
c)	Delhi International Arbitration Centre	2,83,936	2,83,936
d)	Bharat Mineral & Chemical Industries (Arbitration)	4,87,72,171	4,87,72,171
e)	Tax Deducted at Source	4,89,55,686	3,50,96,518
f)	Income Tax Refund Due (Earlier Years)	34,62,850	5,08,82,782
g)	TCS Receivable	2,51,440	-
h)	Other Amounts Recoverable	17,76,856	11,93,64,150
		1,29,786	15,21,46,502
	TOTAL (B)	62,75,52,121	71,52,31,685
	TOTAL (A + B)	13,95,40,32,850	12,65,97,27,499



CENTRAL MEDICAL SERVICES SOCIETY
 An Autonomous Body under Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India
 (Agency Registered under Societies Registration Act, XXI of 1860 vide Reg. No. S/094/2012 dt. 22/03/2012)
 Reg. Office: 502 A, Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi- 110001
 (PAN AABAC6275F)

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE
for the year ended 31st March, 2025

SCHEDULE 5: INCOME FROM SALES / SERVICES

(Amount in Rs.)

PARTICULARS		2024-25	2023-24
1)	INCOME FROM SALES	-	-
2)	INCOME FROM SERVICES		
	a) Management Fee for Procurement of NCVBDC	45,26,606	2,10,56,823
	b) Management Fee for Procurement of NVHCP	3,09,40,090	1,10,02,382
	c) Management Fee for Procurement of NTEP (RNTCP)	49,66,22,101	43,00,44,497
	d) Management Fee for Procurement of FWP	3,45,74,083	1,97,09,165
	e) Management Fee for Procurement of NACO	7,64,90,354	34,82,82,402
	f) Management Fee for Procurement of UIP	57,36,89,230	1,24,20,243
	g) Management Fee for Procurement of CHP	-	13,63,312
	h) Management Fee for Procurement of NTTL	-	8,38,674
	i) Management Fee for Procurement of Others	5,32,000	-
3)	REVERSAL OF INCOME OVERBOOKED DURING PREVIOUS YEARS		
	a) Management Fee for Procurement of NACO	-	1,78,52,296
	b) Management Fee for Procurement of UIP	24,55,333	2,08,17,636
	c) Management Fee for Procurement of NCVBDC	472	-
	d) Management Fee for Procurement of NTTL	22,77,000	-
	e) Management Fee for Procurement of FWP	6,68,325	-
	f) Management Fee for Procurement of NTEP	70,62,824	-
	g) Management Fee for Procurement of JICA	2,13,00,000	-
TOTAL [(1) + (2) - (3)]		1,18,36,10,510	80,60,47,566



CENTRAL MEDICAL SERVICES SOCIETY

An Autonomous Body under Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India
 (Agency Registered under Societies Registration Act, XXI of 1860 vide Reg. No. S/094/2012 dt. 22/03/2012)
 Reg. Office: 502 A, Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi- 110001
 (PAN AABAC6275F)

**SCHEDULES FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE
 for the year ended 31st March, 2025**

SCHEDULE 6: VALUE OF GOODS TRANSFERRED TO PROGRAMME DIVISION

(Amount in Rs.)

PARTICULARS		2024-25	2023-24
1)	VALUE OF GOODS TRANSFERRED TO PROGRAMME DIVISION		
a)	National Centre for Vector Borne Diseases Control (NCVBDC)	37,09,47,774	41,06,24,633
b)	Family Welfare Programme (FWP)	1,09,37,22,980	60,23,47,185
c)	National Tuberculosis Elimination Programme (NTEP)	18,23,25,30,214	8,08,37,92,772
d)	National AIDS Control Organisation (NACO)	6,87,50,16,594	4,97,11,56,092
e)	National Viral Hepatitis Control Programme (NVHCP)	64,82,48,813	24,11,42,757
f)	Universal Immunisation Programme (UIP)	49,10,26,198	85,80,87,792
g)	Child Health Programme (CHP)	4,87,76,336	6,19,07,798
h)	National Tobacco Testing Laboratory (NTTL)	-	2,58,70,801
TOTAL		27,76,02,68,909	15,25,49,29,830

SCHEDULE 7: VALUE OF GOODS TRANSFERRED FOR QC AND DISPOSAL

(Amount in Rs.)

PARTICULARS		2024-25	2023-24
1)	VALUE OF GOODS TRANSFERRED FOR QC AND DISPOSAL		
a)	National Centre for Vector Borne Diseases Control (NCVBDC)	1,83,775	2,25,223
b)	Family Welfare Programme (FWP)	2,50,06,178	1,32,25,798
c)	National Tuberculosis Elimination Programme (NTEP)	29,83,894	5,71,510
d)	National AIDS Control Organisation (NACO)	28,71,988	48,13,998
e)	National Viral Hepatitis Control Programme (NVHCP)	-	1,885
f)	Child Health Programme (CHP)	24,938	8,501
TOTAL		3,10,70,773	1,88,46,915



CENTRAL MEDICAL SERVICES SOCIETY

An Autonomous Body under Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India
 (Agency Registered under Societies Registration Act, XXI of 1860 vide Reg. No. S/094/2012 dt. 22/03/2012)
 Reg. Office: 502 A, Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi- 110001
 (PAN AABAC6275F)

**SCHEDULES FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE
 for the year ended 31st March, 2025**

SCHEDULE 8: INTEREST EARNED		(Amount in Rs.)	
PARTICULARS		2024-25	2023-24
1)	On Term Deposits :		
	a) With Scheduled Banks (TDS for Current Year - Rs. 4,05,82,429/-) (Previous Year - Rs. 3,30,58,568/-)	40,58,23,536	39,21,42,056
	b) Others	-	-
2)	On Savings Accounts :		
	a) With Scheduled Banks	2,86,57,825	2,30,23,675
	b) Others	-	-
3)	Interest on Income Tax Refund	79,87,326	35,13,922
4)	Interest transferred to Programme Division	29,11,90,986	31,24,54,566
TOTAL [(1) + (2) + (3) - (4)]		15,12,77,700	10,62,25,087

SCHEDULE 9: OTHER INCOME		(Amount in Rs.)	
PARTICULARS		2024-25	2023-24
1)	Profit on Sale /Disposal of Assets	-	-
2)	Fees for Miscellaneous Services	2,34,021	1,97,390
3)	Miscellaneous Income	906	1,06,327
TOTAL		2,34,927	3,03,717



CENTRAL MEDICAL SERVICES SOCIETY
 An Autonomous Body under Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India
 (Agency Registered under Societies Registration Act, XXI of 1860 vide Reg. No. S/094/2012 dt. 22/03/2012)
 Reg. Office: 502 A, Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi- 110001
 (PAN AABAC6275F)

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE
for the year ended 31st March, 2025

**SCHEDULE 10: INCREASE/(DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS
 AND WORK-IN-PROGRESS**

		(Amount in Rs.)	
PARTICULARS		2024-25	2023-24
1)	Closing Stock		
	a) Finished Goods	6,00,24,17,236	5,01,62,61,155
	b) Work-in-Progress	-	-
2)	Less: Opening Stock		
	a) Finished Goods	5,01,62,61,155	5,05,66,46,031
	b) Work-in-Progress	-	-
NET INCREASE/ (DECREASE) [(1) - (2)]		98,61,56,081	-4,03,84,876



CENTRAL MEDICAL SERVICES SOCIETY

An Autonomous Body under Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India
 (Agency Registered under Societies Registration Act, XXI of 1860 vide Reg. No. S/094/2012 dt. 22/03/2012)
 Reg. Office: 502 A, Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi- 110001
 (PAN AABAC6275F)

**SCHEDULES FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE
 for the year ended 31st March, 2025**

SCHEDULE 11: PURCHASES ON BEHALF OF PROGRAMME DIVISIONS

		(Amount in Rs.)	
PARTICULARS		2024-25	2023-24
1)	PURCHASES ON BEHALF OF PROGRAMME DIVISIONS		
	a) National Centre for Vector Borne Diseases Control (NCVBDC)	39,43,63,524	45,23,09,867
	b) Family Welfare Programme (FWP)	88,30,78,261	68,74,43,173
	c) National Tuberculosis Elimination Programme (NTEP)	19,74,20,69,377	7,01,65,43,178
	d) National AIDS Control Organisation (NACO)	6,43,33,07,803	5,87,15,60,630
	e) National Viral Hepatitis Control Programme (NVHCP)	80,15,14,420	26,72,41,595
	f) Universal Immunisation Programme (UIP)	49,10,26,198	85,80,87,792
	g) Child Health Programme (CHP)	3,21,36,179	5,43,34,833
	h) National Tobacco Testing Laboratory (NTTL)	-	2,58,70,801
TOTAL		28,77,74,95,762	15,23,33,91,869

SCHEDULE 12: ESTABLISHMENT EXPENSES

		(Amount in Rs.)	
PARTICULARS		2024-25	2023-24
a)	Salary and Wages	7,01,92,923	6,52,17,622
b)	Allowances and Bonus	1,08,55,801	6,76,062
c)	Staff Welfare Expenses	12,06,663	7,33,698
d)	Expenses on Employees' Retirement and Terminal Benefits	65,39,790	21,76,451
TOTAL		8,87,95,178	6,88,03,833



CENTRAL MEDICAL SERVICES SOCIETY

An Autonomous Body under Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India
 (Agency Registered under Societies Registration Act, XXI of 1860 vide Reg. No. S/094/2012 dt. 22/03/2012)
 Reg. Office: 502 A, Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi- 110001
 (PAN AABAC6275F)

**SCHEDULES FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE
 for the year ended 31st March, 2025**

SCHEDULE 13: OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES

		(Amount in Rs.)	
PARTICULARS		2024-25	2023-24
a)	Electricity and Water Charges	35,18,552	21,21,932
b)	Repair & Maintenance (Office & Warehouses)	25,54,591	11,98,737
c)	Insurance Expenses	1,99,972	-
d)	Repair & Maintenance (IT)	9,25,545	1,89,669
e)	Rent, Rates and Taxes	11,74,98,551	11,30,34,190
f)	Vehicles Running and Maintenance	21,49,418	18,57,690
g)	Postage, Telephone and Communication Charges	5,96,141	5,98,634
h)	Printing and Stationery	16,45,467	14,58,357
i)	Travelling and Conveyance Expenses	19,18,345	17,28,910
j)	Subscription Expenses	61,886	78,736
k)	Auditor's Remuneration	4,65,000	5,25,380
l)	Professional Charges	26,83,735	14,72,322
m)	Advertisement and Publicity	4,24,062	5,33,286
n)	Others		
	- E-Aushadhi Maintenance Charges	85,03,608	73,02,855
	- E-Office Expenses	37,33,353	-
	- Misc. Expenses	4,10,349	3,48,871
o)	Prior Period Expenses	1,59,515	48,02,614
TOTAL		14,74,48,090	13,72,52,183



CENTRAL MEDICAL SERVICES SOCIETY

An Autonomous Body under Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India
(Agency Registered under Societies Registration Act, XXI of 1860 vide Reg. No. S/094/2012 dt. 22/03/2012)
Reg. Office: 502 A, Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi- 110001
(PAN AABAC6275F)

SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS for the year ended 31st March, 2025

SCHEDULE 14: SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. Format of Preparation of Accounts

The financial statements have been prepared in accordance with the 'Uniform Format of Accounts' as prescribed for the Central Autonomous Bodies based on the report of the Committee of Experts on Uniform Format of Accounts, November-2000.

The 'Uniform Format of Accounts' provides that the format need not be viewed as rigid and there should be some degree of flexibility in their adoption. Accordingly, the financial statement of CMSS does not include particularly those schedules in which the desired information is either "Not Applicable" or "NIL".

2. Accounting Convention

The financial statements are prepared on the basis of 'Historical Cost Convention' and on the basis of 'Accrual Method' of accounting unless otherwise stated.

3. Inventory Valuation

3.1 Finished goods are valued at cost.

3.2 Cost includes cost of acquisition and taxes, as applicable.

3.3 First-in-First-out (FIFO) method is followed for the purpose of valuation of stock.

4. Long-term Investments

Long-term investments are carried at actual cost including the cost incidental to acquisition.

5. Fixed Assets

5.1 Fixed assets are shown at cost less accumulated depreciation and impairment, if any.

5.2 Cost directly attributable to acquisition are capitalized until the assets are ready for use, as intended by the management.

5.3 Subsequent expenditures relating to Fixed Assets are capitalised only when it is probable that future economic benefits associated with these assets will flow to Society and the cost of the item can be measured reliably. Repair and Maintenance cost are recognised in the Income and Expenditure Account when incurred.



**SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS
for the year ended 31st March, 2025**

SCHEDULE 14: SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

5.4 Depreciation on 'E-office Lite' has been provided with from the date of Commencement Certificate and on the basis of useful life of the asset.

5.5 Depreciation is provided using the Written Down Value (WDV) of Block of Assets in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961.

6. Government Grant /Advance

6.1 Government grants of the nature of contribution towards capital cost /corpus are treated as 'Corpus /Capital Fund'.

6.2 Government grants /advances are accounted on realisation basis.

6.3 Government fund /grant received for procurement of medicinal supplies remaining unspent are shown as 'Liabilities'.

7. Revenue Recognition

7.1 Income is recognised on accrual basis.

7.2 Sales includes value of goods transferred to the Programme Division at cost, including taxes and incidental expenses, as applicable.

7.3 Interest income earned on the advance funds received from various Programmes is credited to the respective Programme and shown under 'Current Liabilities'.

7.4 Interest income earned on the Corpus/ Capital Reserve Funds is recognised as 'Income' of the Society.

8. Management Fees

Management fees for acting as a Central Procurement Agency (CPA) @ 3% or 1.9%, as the case may be of the Letter of Awards (LOA) or Purchase Order issued by Society for the procurement of medicinal goods, is recognised on accrual basis.

It is in compliance with the CAG Audit recommendation raised during the Audit of the Annual Accounts of CMSS for the financial year 2018-19.

9. Lease

Lease rentals are expenses with reference to lease terms.

10. Retirement Benefits

10.1 Liability towards gratuity payable on death / retirement of employee is accrued on actuarial valuation.



SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS
for the year ended 31st March, 2025

SCHEDULE 14: SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

- 10.2 Provision for accumulated leave encashment benefit to the employees is accrued and computed on the assumption that employees are entitled to receive the benefits as at the end of each year restricting it to 10 days for each completed years of service.

11. Transportation Charges

- 11.1 Transportation charges are being incurred by Society for the transit of medicines /medicinal goods for and on behalf of various Programme.
- 11.2 The same is shown as 'Current Assets' as the same are recoverable from the concerned Programme on actual basis.



CENTRAL MEDICAL SERVICES SOCIETY

An Autonomous Body under Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India
(Agency Registered under Societies Registration Act, XXI of 1860 vide Reg. No. S/094/2012 dt. 22/03/2012)
Reg. Office: 502 A, Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi- 110001
(PAN AABAC6275F)

SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS for the year ended 31st March, 2025

SCHEDULE 15: CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES TO ACCOUNTS

1. Introduction

Central Medical Services Society (CMSS) was formed in 2012 through registration under the Society Registration Act, 1860.

Government of India in its meeting held on 24.08.2011 accorded its approval for the formation of Central Medical Services Society (CMSS) as a Central Procurement Agency (CPA) under the administrative control of Ministry of Health and Family Welfare, for the procurement of quality health sector goods and services in a transparent and fair manner and make the health sector goods available at convenient locations for the benefit of the general public by ensuring efficiency in the supply chain.

In accordance with its mandate, CMSS has carried out procurement, storage and distribution of medicinal products for the following Programme, Ministry of Health and Family Welfare during the financial year 2024-25:

- a) Family Welfare Programme (FWP).
- b) National Centre for Vector Borne Diseases Control (NCVBDC).
- c) National Tuberculosis Elimination Programme (NTEP).
- d) National AIDS Control Organisation (NACO).
- e) National Viral Hepatitis Control Programme (NVHCP).
- f) Universal Immunisation Programme (UIP).
- g) Empanelment of testing laboratories for quality testing of medicines/drugs/medical devices and health sector goods.

2. Statement of Compliance

The financial statements have been prepared in accordance with the generally accepted accounting principles issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the related laws as laid down by the applicable acts.

3. Contingent Liabilities

- 3.1 Claim against the entity not acknowledged as Debt - Rs. 127.97 crore (Previous Year - Rs. 111.57 crore)
- 3.2 Bank Guarantee given by /on behalf of the Entity - Rs. 0.54 crore (Previous year - Rs. 0.54 crore)



**SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS
for the year ended 31st March, 2025**

SCHEDULE 15: CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES TO ACCOUNTS

3.3 Disputed Demand in respect of:

- a) Income Tax - Nil (Previous Year - Rs. 1344.61 crore in respect of AY 2022-23)
- b) Goods and Service Tax - Rs. 252.63 crore (Previous Year - Rs. 1.63 crore)

S. No.	GST Authority (State)	Subject Matter	Brief Details of Current Status
1	Ahmedabad (Gujarat)	Order in Form DRC-07 dated 06.08.2019 passed by Assistant Commissioner raising a demand of Rs. 64,01,610/- (including interest and penalty) for the FY 2017-18.	Appeal filed by CMSS has been accepted for further processing at the office of DC Appeal-1, Division-01, Ahmedabad, Gujarat.
2	Bangalore (Karnataka)	Order passed by Add. Commissioner (Adjudication) dated 13.01.2025 raising a demand of Rs. 246,18,08,241/- plus applicable amount of interest @ 18% per annum (including penalty) from July-17 to March-2024.	Appropriate action is being taken for filing appeal before the First Appeal GST Authority.
3	Jaipur (Rajasthan)	Order in Form GST DRC -07 dated 24.04.2024 raising a demand of Rs. 40,264/- against mismatch of GST under reverse charge for the FY 2018-19.	Appeal submitted the same is pending with GST.
4	Kolkata (West Bengal)	Order in Form GST DRC -07 dated 17.05.2023 raising a demand of Rs. 6,67,113/- against mismatch of GST credit available to CMSS and the amount of GST credit availed during the FY 2017-18.	Appeal submitted the same is pending with GST.
5	Lucknow (Uttar Pradesh)	Order in Form GST APL-04 dated 12.12.2024 has been issued by Commissioner (Appeal) - GST confirming the demand raised by GST (Adjudication) of Rs. 6,67,113/- against for the FY 2017-18.	Appropriate action is being taken for filing appeal before the GST Tribunal.
6	Ranchi (Jharkhand)	Order in Form GST DRC -07 dated 11.02.2025 raising a demand of Rs. 3,34,44,555/- against mismatch of e-way bill issued and GSTR-3B Nil filed for the FY 2021-22.	Appeal in Form APL 01 against the order has been submitted.



**SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS
for the year ended 31st March, 2025**

SCHEDULE 15: CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES TO ACCOUNTS

3.4 Legal Matters

S. No.	Case	Subject Matter	Brief Details
1	W.P. (C) No. 686/2022 Network of People Living with HIV/AIDS Vs. UOI & Ors. (Before Supreme Court of India)	- Writ Petition under Article 32 of the Constitution of India in public interest; - Seeking directions for putting in place an emergency procurement mechanism to ensure immediate procurement and distribution of quality assured ARVs to people living with HIV/AIDS; - To secure the fundamental rights of people living with HIV/AIDS under Articles 21 and 14.	The matter is independent from CMSS and is being taken up by Ministry of Health and Family Welfare.
2	CRL.M.C. 5340/2023 Mahipat Ambalal Patel Vs State (Govt. of NCT of Delhi) & ANR. (Before High Court of Delhi)	Appeal was filed against the order dated 15.03.2023 and 29.07.2019 passed by the learned Metropolitan Magistrate, Patiala House, New Delhi in the matter of State vs. Ambalal Das Patel wherein the Ld. Metropolitan Magistrate raised concerns and directed the Investigating Officer to conduct further investigation.	The matter has been dismissed in the favour of CMSS vide order dated 29.04.2025.
3	W.P.(C)1018/2023 Radha Madhab Bandyopadhyay Vs. Central Medical Services Society (CMSS) and Others (Before High Court of Delhi)	The matter pertains to an ex-employee of CMSS - Administrative Officer. He has requested the Hon'ble Court for quashing of the letter No. CMSS / AN /299 / 667 dated 23.12.2022 issued by CMSS and set aside the order of termination and restore the Petitioner in the Post of Administrative Office with all consequential benefits. 	- The Court was also informed that he had falsely stated in his application that he had not been convicted previously by a court of law. - On 09.02.2024 CMSS counsel informed the Hon'ble Court that the petitioner has already employed with the Dr. Ambedkar International Centre, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India. - The Hon'ble Court has ordered that the petitioner shall file an affidavit in respect of the said letter. - The last date of hearing was 20.05.2025 and the matter is at the stage of Final Hearing.

**SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS
for the year ended 31st March, 2025**

SCHEDULE 15: CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES TO ACCOUNTS

S. No.	Case	Subject Matter	Brief Details
4	W.P. 9(C) 12724/2022 Arun Kumar Gautam vs. CMSS (Before Jaipur High Court)	The matter pertains to an ex-employee of CMSS - Warehouse Manager. The petitioner filed writ petition under Article 226 of the Constitution and requested the High Court to pass an order to quash the relieving order issued by CMSS in respect of the petitioner and quash the vacancy announcement dated 21.06.2022.	- The Court directed the council of the Petitioner to place on record the contract agreement. - The last date of hearing was 12.05.2025 and the next hearing date will be scheduled by the Hon'ble Court.
5	W.P.(C) 13838/2023 Sadhna Monga Vs Union of India (Before Delhi High Court)	The matter pertains to one of the ex-employees of CMSS - General Manager – Quality Assurance. The petitioner has requested the Hon'ble Court: - to quash the termination order, - to reinstate the petitioner to the post of General Manager (Quality & Assurance), - to release the back wages post reinstatement i.e., from 06.06.2020 to 05.07.2021 along with increment and interest, - to quash the selection process vide advertisement dated 18.08.2023, and - to pass any other order as deem fit.	- The Court directed CMSS to pay 50% back wages to the petitioner from the period of first termination date to the reinstatement date. - In compliance with Hon'ble Court order, CMSS has remitted 50% wages in the account of Ms. Monga in regards to the first termination and reinstated order. - The decision on the second termination is pending. - Review petition has been filed by the petitioner and it is sub-judice before the Court. - The last date of hearing was 07.05.2025 and the matter is at the stage of Admission Hearing.
6	W.P(c) 1853/2018 M/s Vital Health Care (P) Ltd. Vs. CMSS &Anr. (Before High Court of Delhi as Regular Matter)	- M/s Vital Health Care (P) Ltd. has been blacklisted by the Central Medical Services Society (CMSS) for violating tender terms and conditions. - The Petitioner has challenged the blacklisting order passed by CMSS.	- On 24.04.2023 - The application of the Petitioner requesting for restoration of the present writ petition is allowed and the petition be listed in the category of 'Regular Matters'. - The matter is not yet listed before the Hon'ble Court.



**SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS
for the year ended 31st March, 2025**

SCHEDULE 15: CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES TO ACCOUNTS

S. No.	Case	Subject Matter	Brief Details
7	Arb. P 431 2021 M/s Centurion Laboratories, Division of Centurion Remedies P. Ltd. Vs. Central Medical Service Society (Before Arbitrator)	- M/s Centurion Laboratories, Division of Centurion Remedies P. Ltd has been blacklisted and PBG was forfeited by the Central Medical Services Society (CMSS) for violating tender terms and conditions. - The Petitioner challenged the Blacklisting and forfeiture of performance bank guarantee order passed by CMSS.	The Final Award of Rs. 99,15,718.94/-. The Claimant will also be entitled to interest @ 9% per annum on said amount w.e.f. 20.01.2021 i.e., the date of notice invoking arbitration till the date of payment, has been issued by the Arbitrator on 28.11.2024 The impugned Final Award has been challenged by CMSS before the Commercial Court of Patiala House Court and same is admitted by the Court (refer S.No. 18 below).
8	Arb. P 1278 2022 M/s Centurion Laboratories, Division of Centurion Remedies P. Ltd. Vs. Central Medical Service Society (Before Arbitrator)	Amended Purchase Order dated 06.09.2022 issued to M/s Centurion. In reply, M/s Centurion contended that email communicating Amended Purchase Order has not been received. Further, it has also demanded full payment against the Original Purchase Order.	Centurion has filed arbitration application against CMSS seeking full value of PO i.e., Rs. 111,03,80,679/- along with interest @ 12% till the payment. - So far, all the procedures have been completed before the Arbitrator. - The last date of hearing was 09.03.2025 and the Arbitrator has reserved the Final Award.
9	Cr. Cases/6573/2019 State Vs. Ambalal Das Patel (Before Patiala Court)	Matter pertains to FIR lodge by CMSS against the directors of M/s Centurion and Ms Centurion for submitting forged documents in tender. 	- On 03.08.2023 the matter was adjourned as petition was filed before the Hon'ble High Court challenging the order of CMSS dated 15.03.2023 directing the IO for further investigation. - Further investigation is still in progress and the next hearing date is 17.07.2025.

**SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS
for the year ended 31st March, 2025**

SCHEDULE 15: CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES TO ACCOUNTS

S. No.	Case	Subject Matter	Brief Details
10	RJ/02/RJS/01017 M/s Bharat Mineral & Chemical Industries Vs Union of India & Anr [Before Micro and Small Enterprises Facilitation Council (MSEFC)]	- Arbitral award was passed by MSEFC on 12.11.2021 in favour of the Petitioner. - Appeal has been filed by CMSS under Section 36 of the Arbitration and Conciliation Act for challenging the award.	- An amount of Rs. 7,95,41,625/- (i.e., 75% of the award amount) has been remitted by CMSS as mandatory pre-deposit amount in the form of Demand Draft in compliance. - On 21.10.2024, the Ld. Commercial Court, Jaipur-4, Rajasthan has issued an Interim Order (hereinafter referred as Impugned Order) for the partial release to the extent of 70% of deposited amount i.e., INR 5,56,79,137/-subject to the furnishing of original title document of immovable property of equivalent amount after its valuation. - The impugned Final Order has been challenged before the Rajasthan High Court Jaipur Bench under Article 227 of the Constitution of India (refer S.No. 19 below).
11	OMP (COMM.)/82/2024 Central Medical Services Society Vs Diagnocure [Before Commercial Court of Patiala House Court]	- The matter in question is finalized at Arbitration Tribunal stage with an adverse award against CMSS. - The same is challenged through the petition under section 34 of the Arbitration & Conciliation Act, 1996 before Patiala House Court.	- In response of notice received by CMSS for non-payment, CMSS submitted that an aggregate amount of Rs. 1.82 crore has already been paid to the Petitioner and only Rs. 0.36 crore is balance for which the submission of invoices are pending on the part of the Petitioner. - After following due process, MSEFC passed its award order for an amount of Rs. 65,71,390/- in favour of the Petitioner on 20.12.2023; - Appeal has been filed before Patiala House Court by CMSS. The last date of hearing was 10.06.2025 and the next hearing will be provided by the Hon'ble Court.



**SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS
for the year ended 31st March, 2025**

SCHEDULE 15: CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES TO ACCOUNTS

S. No.	Case	Subject Matter	Brief Details
12	W.P.(C) 10387/2024 Centurion Laboratories Pvt. Ltd. through the Director Authorized Representative Vs. CMSS (Connected matter with W.P.(C) 10920/2024 (Before High Court of Delhi)	- The present Civil Writ Petition filed by the M/s Centurion Laboratories Pvt. Ltd. against the Show Cause Notice of CMSS dated 12.07.2024. - The concerned tender in the matter is CMSS/PROC/2023-24/NTEP/042 awarded for the procurement of DSTB Regimens (DSTB-IP-A, DSTB-CP-A, DSTB-CP-P).	- The Petitioner sought to quash the SCN dated 12.07.2024 and direct CMSS to release Rs. 110,042,154/- against the non-payment of other tenders. - The matter is at the stage of Admission Hearing. - The last date of hearing was 04.02.2025 and the next date of hearing is 08.07.2025.
13	W.P.(C) 10920/2024 Centurion Laboratories Pvt. Ltd. through the Director Authorized Representative Vs. CMSS & Anr. (Before High Court of Delhi)	- Another Civil Writ Petition filed by the M/s Centurion Laboratories Pvt. Ltd. against the Blacklisting Order of CMSS dated 29.07.2024. - The concerned tender in the matter is CMSS/PROC/2023-24/NTEP/042 awarded for the procurement of DSTB Regimens (DSTB-IP-A, DSTB-CP-A, DSTB-CP-P).	- The Petitioner sought to quash the Blacklisting Order dated 29.07.2024. - The matter is at the stage of Admission Hearing. - The last date of hearing was 04.02.2025 and the next date of hearing is 08.07.2025.
14	W.P.(C) 6999/2024 Themis Medicare Limited & Anr. Vs. Central Medical Service Society & Ors. (Before Delhi High Court)	- M/s Themis Medicare (Petitioner) approached the Delhi High Court aggrieved by the actions of CMSS in accepting bids of M/s J. Duncan (Respondent 3) and M/s Centurion Laboratories (Respondent 4) in the tender process of CMSS/PROC/2024-25/NTEP/019 for the procurement of Rifapentine 150 mg.	- The Petitioner sought to quash the Letter of Acceptance (LoA) and subsequent Purchase Orders (POs) placed with Respondent 3 and Respondent 4 and to re-issue the concerned tender for public procurement. - The matter is at the stage of Admission Hearing. The last date of hearing was 29.04.2025 and the next date of hearing is 05.08.2025.



**SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS
for the year ended 31st March, 2025**

SCHEDULE 15: CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES TO ACCOUNTS

S. No.	Case	Subject Matter	Brief Details
15	W.P.(MD) No. 10729/2024 Tamil Nadu HDPE Knitted Fabrics MFRS Association Vs. The Secretary Central Insecticides Board And Registration Committee & Anr (VKA Polymers) (Before Madras High Court)	In this case, the present petition has been filed before the Madurai Bench of Madras High Court wherein the main issue lies with the eligibility of VKA Polymers to participate in Govt. tenders.	CMSS is Respondent No. 2 in this matter. Despite that CMSS interests are not at stake in any manner as we are not the Principal Party.
16	DAC/5753/12/22 M/s Rexson Products India Vs. Central Medical Services Society (Before Arbitrator)	- M/s Rexson awarded Tender bearing No. CMSS/PROC/2018-19/026 for supply of Alcohol Stem Thermometer; - Later, the supplied quantity failed in the testing reports. - The Claimant preferred an Application under the provision of Section 18(1) of Micro Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 before MSMEF Council. - However, the attempts at conciliation between the parties were unsuccessful. - Further, on account of the Claimant failure to replace the NSQ goods despite repeated opportunities Blacklisting Order dated 30.11.2021 was issued. - An Arbitration petition has been filed against non-payment of the material supplied and losses incurred by way of interest, goodwill and damages due to blacklisting.	The Petitioner sought a financial relief aggregating to Rs. 1,43,06,671/- along with interest @ 21% till the date of payment and the cost of arbitration to the extent of Rs. 9,73,066/-. -The last date of hearing was 12.03.2025 and the matter is reserved for Final Award by the Arbitrator.



**SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS
for the year ended 31st March, 2025**

SCHEDULE 15: CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES TO ACCOUNTS

S. No.	Case	Subject Matter	Brief Details
17	SLP (C) No. 20727/2024 LPA 674/2024 W.P. (C) 8630/2024 M/s J. Duncan Healthcare Pvt. Ltd. V/s Central Medical Services Society (Before Supreme Court of India)	This petition was filed under Article 226 of the Constitution of India to quash the Blacklisting Order dated 22.05.2024 passed by Respondent/CMSS; quash the Cancellation Order(s) dated 06.06.2024 and 07.06.2024, terminating 7 Purchase Orders.	- M/s J. Duncan filed a SLP (C) No. 20727/2024 before the Hon'ble Supreme Court of India against the impugned judgment and final order dated 14.08.2024 passed by the Hon'ble High Court of Delhi in LPA No. 674 of 2024. - The said SLP (C) is listed in the Court No. 1 wherein the Coram (consisting of Hon'ble The Chief Justice Mr. DY Chandrachud, Hon'ble Mr. Justice J.B. Pardiwala and Hon'ble Mr. Justice Manoj Misra) was not inclined to entertain the SLP under Article 136 of the Constitution. The SLP is accordingly dismissed.
18	OMP (COMM) No. 40/2025 CMSS Vs. M/s Centurion Laboratories, Division Of Centurion Remedies P. Ltd. (Before Commercial Court of Patiala House Court)	- Refer S. no. 7 above. - Arbitral award was passed in favour of Centurion. - The Final award has been challenged by CMSS before the Commercial Court of Patiala House Court.	- At Arbitration Tribunal Stage, Centurion received the favourable order. - CMSS after finding erroneous reasoning, challenged the impugned order before Commercial Court of Patiala House Court. - On 28.03.2025 - CMSS received favourable interlocutory order. - Oral & written submissions have been filed for admission of matter. The last date of hearing was 27.05.2025 and the next date of hearing is 10.09.2025.
19	W.P.(C) 5003/2025 CMSS Vs. Raj Micro & Small Enterprises & Bharat Mineral & Chemical Industries (Before Jaipur Bench of Rajasthan High Court)	- Refer S.no. 10 above. - Arbitral award was passed by MSEFC on 12.11.2021 in favour of the Petitioner. - Stay Application filed by CMSS u/s 34 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 before the Commercial Court of Rajasthan High Court challenging the Arbitral award Rs. 10.60 Cr.	- Oral & written submissions have been filed for admission of matter. - The last date of hearing was 19.05.2025 and the next date of hearing yet to be issued.



**SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS
for the year ended 31st March, 2025**

SCHEDULE 15: CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES TO ACCOUNTS

4. Current Assets, Loans and Advances

In the opinion of the Management, the current assets, loans and advances have a value on realisation in the ordinary course of business, equal at least to the aggregate amount shown in the Balance Sheet.

5. Inventories

5.1		(Amount in Crore)	
S.No.	Particulars	2024-25	2023-24
a)	Value of Stock-in-trade of Finished Goods as at year end	600.24	501.63
b)	Value of Expired Medicines as at beginning of the year	76.26	66.62
c)	Value of Expired Medicines during the year	0.01	10.53
d)	Value of Expired Medicines as at year end	76.27	77.15
e)	Value of Expired Medicines disposed of during the year	2.24	0.89
f)	Value of Expired Medicines at the year-end net of disposal [(d) - (e)]	74.03	76.26

5.2 The approval for the disposal of expired medicines valuing Rs. 15.45 crore has been received by CMSS from the concerned Programme Divisions of Ministry of Health and Family Welfare, Govt. of India. The disposal of the medicines valuing Rs. 9.34 crore [i.e., Rs. 15.45 crore - Rs. 2.24 crore (FY 2024-25) - Rs. 3.87 crore (upto FY 2023-24)] is being taken up in a phased manner by CMSS.

5.3 Inventory management for all the 18 warehouses on PAN India basis is done through E-Aushadhi application. Physical verification of inventories of all the warehouses (18) has been carried out during the reporting period.

6. Taxation

In view of there being not taxable income under Income Tax Act, 1961, no provision for Income Tax has been considered necessary.

7. General Information

7.1 The Society has 18 warehouses on PAN India basis to serve the medicines requirements of States and U'Ts. Out of which, 15 warehouses have been taken on lease from Central Warehousing Corporation Limited and the balance 03 warehouses have been hired from the private entities.

In the opinion of the management, these warehouses are being maintained suitably for the storage of medicines.



**SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS
for the year ended 31st March, 2025**

SCHEDULE 15: CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES TO ACCOUNTS

- 7.2 The Society ensures compliance of specific Quality checks of all medicines purchased in accordance with the Quality Policy in place.

The aim of the Quality Assurance (QA) in public pharmaceutical procurement / supply system is to ensure that each medicine /product reaching to a patient is of desired /standard quality. Therefore, apex level government laboratories such as IPC, CDTL, NIMR, AIIMS, CIPET, EFRACL, EQDC, Arbro, Shri Ram, IIBAT and RMRIMS have been empanelled for testing of samples.

8. Corresponding figures for the previous year have been regrouped /rearranged, wherever necessary.
9. Schedule 1 to 15 are annexed to and form an integral part of the Balance Sheet as at 31st March, 2025 and the Income and Expenditure Account for the year ended on that date

For and on behalf of
Central Medical Services Society

Sd/-
(Debabrata Mohapatra)
General Manager (Finance)



Sd/-
(Vijay Nehra)
DG & CEO

Place : New Delhi
Date : 27-Jun-2025

केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी

वार्षिक रिपोर्ट
और
लेखा परीक्षित वार्षिक खाते

(वित्तीय वर्ष 2024–25)

सी. ई. ओ. की रिपोर्ट

शासी निकाय की ओर से, मुझे 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसायटी की 12वीं वार्षिक रिपोर्ट, लेखा-परीक्षित विवरण और उस पर सीएजी की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, सीएमएसएस ने 6714.81 करोड़ रुपये के नए खरीद मामलों को अंतिम रूप दिया, अपने गोदामों से राज्य कार्यक्रम प्राप्तकर्ताओं तक 2717.52 करोड़ रुपये के माल का परिवहन और वितरण किया और आपूर्तिकर्ताओं को 2944.89 करोड़ रुपये का भुगतान जारी किया। अंतिम रूप दिए गए 6714.81 करोड़ रुपये के खरीद मामलों में से, 6257.53 करोड़ रुपये (93.19 प्रतिशत) मूल्य की खरीद भारत सरकार के मेक-इन इंडिया कार्यक्रम के अनुपालन में स्वदेशी रूप से निर्मित है। एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में, वर्ष के दौरान, निविदा को अंतिम रूप देने का समय, मांग-पत्र प्राप्त होने से लेकर अनुबंध प्रदान करने तक, 65 दिनों से भी कम कर दिया गया।

वर्ष के दौरान अंतिम रूप दी गई कुछ महत्वपूर्ण खरीद में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी) के लिए 3634.26 करोड़ रुपये तथा राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) के लिए 2315.85 करोड़ रुपये के टीकों की खरीद शामिल है।

देश भर में हमारे 18 गोदाम हैं जो राज्यों की राजधानियों में या उनके सबसे नज़दीक स्थित हैं। सभी गोदामों को ऑनलाइन इन्वेंट्री भंडार नियंत्रण सॉफ्टवेयर और सामग्री प्रबंधन उपकरण के साथ सक्षम किया गया है। दवा उत्पादों की गुणवत्ता की परीक्षण करने के लिए मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं का एक पैनल मौजूद है।

गुणवत्तापूर्ण जनशक्ति, आपूर्ति श्रृंखला के सभी कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता, तथा एक दशक के अनुभव से विकसित सुस्थापित प्रक्रियाओं के साथ, सी.एम.एस.एस. स्वास्थ्य क्षेत्र की आपूर्ति के लिए "उत्कृष्टता केंद्र" के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

(विजय नेहरा)

महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी

अवलोकन

- 1) केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी (सीएमएसएस) की स्थापना वर्ष 2012 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में एक पूर्ण स्वायत्त केंद्रीय खरीद एजेंसी (सीपीए) के रूप में की गई थी। इस संगठन का गठन मंत्रालय में खरीद संबंधी कमियों और पेशेवर खरीद विशेषज्ञता की कमी को दूर करने तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य क्षेत्र की वस्तुओं की खरीद/वितरण को अधिक पारदर्शी, कुशल और लागत प्रभावी तरीके से करने के उद्देश्य से किया गया था।
- 2) 50.00 करोड़ रुपये की एकमुश्त राशि से स्थापित सीएमएसएस, 2015 से विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और गर्भनिरोधकों की खरीद कर रहा है।
- 3) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में खरीद के प्रभारी अपर सचिव इसके पदेन अध्यक्ष हैं। एक पूर्णकालिक महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संयुक्त सचिव स्तर का एक अधिकारी है, जो सोसाइटी के समग्र प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है।
- 4) कार्यक्षमता के आधार पर सीएमएसएस को खरीद प्रभाग, रसद एवं आपूर्ति श्रृंखला प्रभाग, वित्त प्रभाग, गुणवत्ता आश्वासन प्रभाग और प्रशासन प्रभाग में संगठित किया गया है।
- 5) सीएमएसएस के पास राज्य की राजधानी में या उसके निकट स्थित 18 गोदाम हैं, जिनमें ऑनलाइन इन्वेंट्री नियंत्रण तंत्र और सामग्री हैंडलिंग उपकरण हैं।
- 6) सीएमएसएस गुणवत्ता नियंत्रण उपायों पर केंद्रित है और फार्मास्यूटिकल उत्पादों की गुणवत्ता के परीक्षण के लिए मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएं पैनल पर हैं।
- 7) सीएमएसएस एक आत्मनिर्भर स्वायत्त निकाय है।

संगठन एवं बुनियादी संरचना

1.1 परिचय

सीएमएसएस केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सभी रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के लिए दवाओं, टीकों, गर्भनिरोधकों और चिकित्सा उपकरणों की खरीद हेतु एक स्वतंत्र, पेशेवर और स्वायत्त एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। सीएमएसएस राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपर्युक्त स्वास्थ्य क्षेत्र की वस्तुओं के गुणवत्ता नियंत्रण और वितरण के लिए उत्तरदायी है। सीएमएसएस के मुख्य उद्देश्य हैं:

- स्वास्थ्य क्षेत्र की वस्तुओं की कुशलतापूर्वक खरीद करना।
- खरीद के लिए पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी प्रणालियाँ स्थापित करना ताकि वस्तुओं की खरीद प्रतिस्पर्धी दरों पर हो सके।
- गुणवत्ता नियंत्रण के लिए अचूक प्रणालियाँ स्थापित करना ताकि उपयोगकर्ता को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद मिलें। गुणवत्ता ही मुख्य कारक होगी जो निविदा में केवल उच्च मानक वाली फर्मों को भाग लेने तक सीमित रखेगी।
- एक कुशल आपूर्ति श्रृंखला स्थापित और प्रबंधित करना।
- स्टॉक खत्म होने और अतिरिक्त इन्वेंट्री को रोकने और अपव्यय को कम करने, यदि समाप्त नहीं भी किया जा सके, के लिए एक एमआईएस स्थापित करना।
- विनिर्देशों, निविदा प्रक्रिया, दस्तावेजों, बिलिंग और भुगतान प्रणालियों का मानकीकरण करना।
- स्वास्थ्य क्षेत्र की वस्तुओं की आवश्यकता, उनके मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण पर मंत्रालय और राज्य सरकारों के साथ बातचीत करना।
- खरीद और रसद पर राज्यों को तकनीकी और प्रबंधकीय सहायता प्रदान करना।
- सेवा प्रदाता और उपयोगकर्ता को ध्यान में रखते हुए खरीद और वितरण का प्रबंधन करना और उनकी प्रतिक्रिया के आधार पर प्रणाली में सुधार करना।
- लाभ के बजाय सेवा को मुख्य उद्देश्य मानकर कार्य करना।
- दवाओं के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना।

1.2 कानूनी स्थिति

सीएमएसएस, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसाइटी है।

1.3 संगठनात्मक संरचना

सीएमएसएस का एक पदेन अध्यक्ष होता है, जो मंत्रालय में खरीद के प्रभारी अतिरिक्त सचिव होते हैं। एक पूर्णकालिक महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एक संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी, सोसाइटी के समग्र प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होता है। उनकी सहायता के लिए महाप्रबंधक/संयुक्त निदेशक होते हैं, जिनमें से प्रत्येक निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है:

- खरीद-02
- रसद एवं आपूर्ति श्रृंखला-01
- वित्त-01
- गुणवत्ता आश्वासन-01
- प्रशासन-01

महाप्रबंधकों/संयुक्त निदेशकों को 12 सहायक महाप्रबंधकों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। मुख्यालय में कुल मानवशक्ति में 6 महाप्रबंधक, 12 सहायक महाप्रबंधक और 25 सहायक कर्मचारी (प्रशासनिक अधिकारी, लेखा अधिकारी, प्रबंधक, निजी सचिव और कार्यालय सहायक) शामिल हैं।

प्रत्येक सीएमएसएस गोदाम का प्रबंधन एक वेयरहाउस (फार्मासिस्ट), एक जूनियर फार्मासिस्ट, एक डीईओ और एक हाउसकीपिंग स्टाफ (अकुशल) द्वारा किया जाता है।

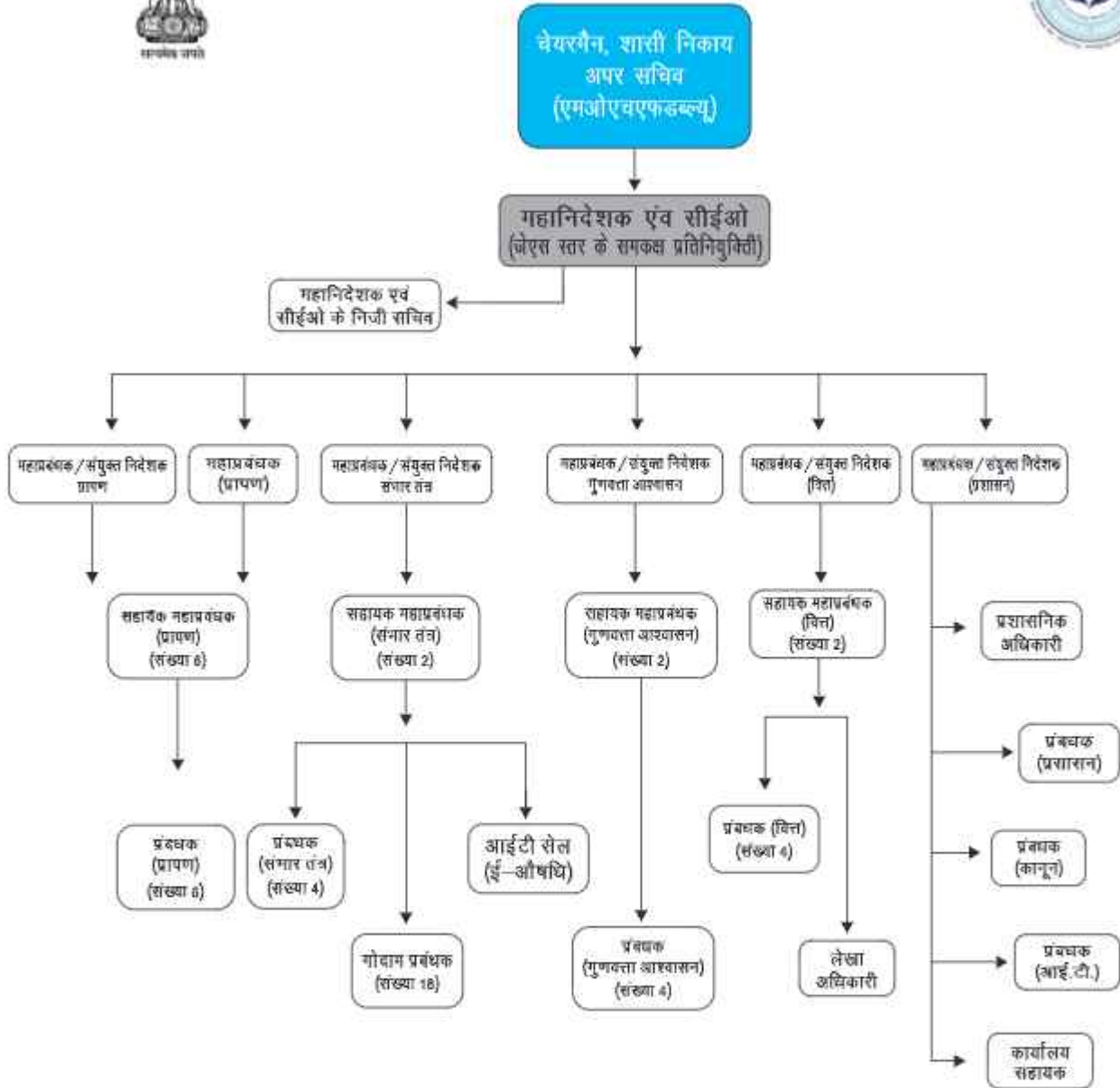
एनआईसी ई-ऑफिस और सीएमएसएस वेबसाइट का प्रबंधन सीएमएसएस के आंतरिक कर्मचारियों द्वारा किया जाता है, जबकि ई-औषधि को आउटसोर्स किया जाता है और इसका प्रबंधन सी-डैक द्वारा किया जाता है।

सीएजी द्वारा सूचीबद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म को आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, जो वार्षिक लेखों को प्रमाणित करेगा, उसके बाद ही उन्हें सीएमएसएस के शासी निकाय के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

केन्द्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी (सीएमएसएस) की संगठनात्मक संरचना नीचे दी गई है:

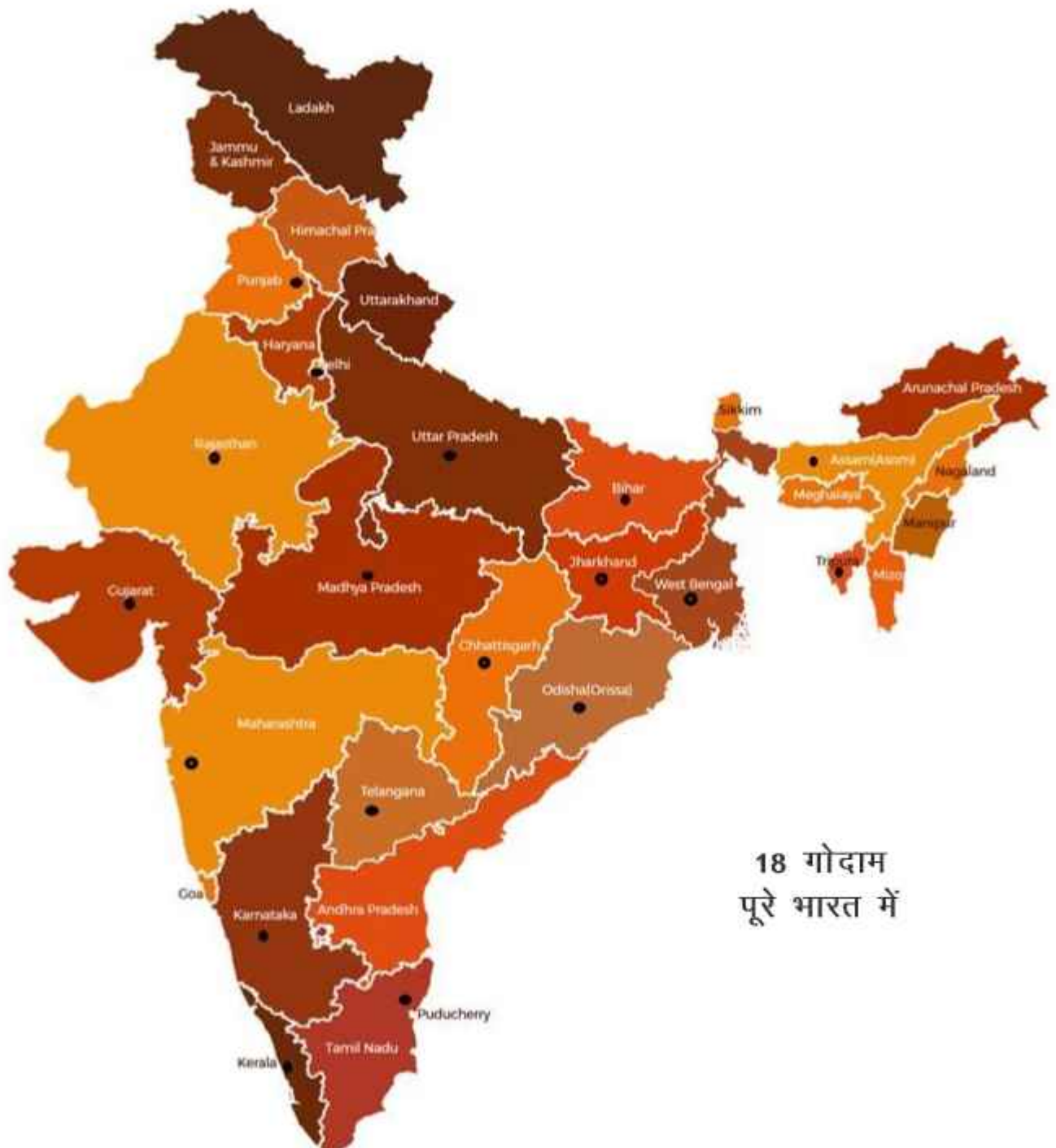


सीएमएसएस का संगठनात्मक चार्ट



1.4 गोदामों का स्थान

सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य-क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने के लिए सीएमएसएस के 18 गोदाम हैं।



1.5 गोदामों की सूची

क्र.स.	गोदामों के स्थान	गोदामों के अंतर्गत आने वाले राज्य/संघ क्षेत्र
1.	अगरतला	त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम
2.	अहमदाबाद	गुजरात
3.	बेंगलुरु	कर्नाटक
4.	भोपाल	मध्य प्रदेश
5.	जीरकपुर	चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू और कश्मीर
6.	चेन्नई	तमिलनाडु, पांडिचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
7.	भुवनेश्वर	ओडिशा
8.	दिल्ली	दिल्ली
9.	गुवाहाटी	असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम
10.	हैदराबाद	तेलंगाना और आंध्र प्रदेश
11.	जयपुर	राजस्थान
12.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल
13.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश
14.	मुंबई	महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव
15.	पटना	बिहार
16.	रायपुर	छत्तीसगढ़
17.	रांची	झारखंड
18.	त्रिवेन्द्रम	केरल और लक्षद्वीप

1.6 आईटी सॉफ्टवेयर

सीएमएसएस, सी-डैक से प्राप्त संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन सुविधाओं के साथ एक वेब-आधारित ऑनलाइन इन्वेंट्री नियंत्रण प्रणाली के माध्यम से अपना संचालन करता है।

1.7 गुणवत्ता नियंत्रण

सीएमएसएस द्वारा की जाने वाली खरीद में गुणवत्ता को मुख्य चालक माना जाता है।

सार्वजनिक औषधि खरीद/आपूर्ति प्रणाली में गुणवत्ता नियंत्रण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि रोगी तक पहुँचने वाली प्रत्येक दवा/उत्पाद वांछित गुणवत्ता की हो।

सीएमएसएस गुणवत्तापूर्ण दवाएँ प्राप्त हों, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रेषण-पूर्व निरीक्षण अपनाता है।

एम्स, आईपीसी, सीडीटीएल, सीआईपीईटी, आईपीएफटी, एनआईबी, ईक्यूडीसी, आईसीएमआर-एनएआरआई, आरएमआरआईएमएस, आईआईबीएटी, श्रीराम लैब्स, आब्रो, ईएफआरएसी जैसी शीर्ष स्तरीय सरकारी और एनबीएल प्रेषण-पूर्व निरीक्षण प्रयोगशालाएँ नमूनों के परीक्षण के लिए सूचीबद्ध हैं।

खरीदी गई दवाओं के परीक्षण की व्यवस्था यह सुनिश्चित करने के लिए की गई है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्राधिकारियों को वितरित किए जाने वाले प्रत्येक बैच में गुणवत्ता सुनिश्चित हो।

सीएमएसएस गुणवत्ता सुनिश्चित करने के अपने उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध है।

1.8 सीएमएसएस के लिए निष्पादन मानदंड

सीएमएसएस के लिए निर्धारित उद्देश्यों के आधार पर, कुछ व्यापक निष्पादन मानदंड नीचे दिए गए हैं:

- (1) समय सीमा समाप्त होने के कारण कोई भी दवा/टीका बर्बाद नहीं किया जाएगा।
- (2) खरीद प्रक्रिया और ऑर्डर देना वार्षिक मांग के लिए एक कैलेंडर और दीर्घकालिक समझौते पर आधारित होना चाहिए।
- (3) पारदर्शी द्वि-बोली प्रक्रिया और मानक निविदा दस्तावेज मौजूद हों।
- (4) सीएमएसएस मुख्यालय में बिल प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किया जाए।
- (5) सभी न्यायालयीन मामलों का प्रभावी ढंग से निपटारा किया जाए ताकि किसी भी न्यायालय द्वारा कोई प्रतिकूल निर्णय नहीं दिया जाए।

प्रमुख कार्यकलाप एवं उपलब्धियां

2.1 शासी निकाय की बैठकें

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, शासी निकाय की 12 बैठकें (104वीं से 115वीं शासी निकाय बैठकें) 09.04.2024, 26.04.2024, 16.05.2024, 21.06.2024, 08.08.2024, 24.09.2024, 24.10.2024, 12.12.2024, 26.12.2024, 12.03.2025, 25.03.2025, 27.03.2025 और एक (01) वार्षिक आम सभा बैठक (एजीएम) आयोजित की गई और महत्वपूर्ण खरीद निर्णय लिए गए।

वर्ष 2024–25 के दौरान, सीएमएसएस के शासी निकाय द्वारा 6714.81 करोड़ रुपये की लागत वाली खरीद को अंतिम रूप दिया गया। विवरण नीचे दिए गए हैं:

- कुल 3634.26 करोड़ रुपये मूल्य की यूआईपी की खरीद
- कुल 2315.85 करोड़ रुपये मूल्य की एनटीईपी की खरीद
- कुल 589.32 करोड़ रुपये मूल्य की नाको की खरीद
- कुल 72.98 करोड़ रुपये मूल्य की एफडब्ल्यूपी की खरीद
- कुल 84.93 करोड़ रुपये मूल्य की एनवीएचसीपी की खरीद
- कुल 17.47 करोड़ रुपये मूल्य की एनसीवीबीडीसी की खरीद

2.2 आईटी पहल

ई-औषधि प्रणाली को अनुकूलित किया गया है, जिसमें क्रय आदेश जारी करने, आपूर्ति रसीद, नमूनाकरण/परीक्षण और स्टॉक जारी करने जैसे सभी लेन-देन आईटी-संचालित हैं, जिससे देरी और मैनुअल त्रुटियों को समाप्त किया जा सके।

भारत सरकार की डिजिटल परिवर्तन और कुशल कार्यालय संचालन पहल के अनुरूप एनआईसी ई-ऑफिस कार्यालय को भी क्रियान्वित और कार्यात्मक बनाया गया है।



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 1 - खण्ड 1
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 260]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 12, 2013/कार्तिक 21, 1935

No. 260]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 12, 2013/KARTIKA 21, 1935

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)
संकल्प

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 2013

संख्या एस-12012/59/2011-ई पी डब्ल्यू-सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र वस्तुओं के प्रभावी प्रापण और वितरण के लिए, सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसाइटी के तौर पर एक पूर्णतः स्वायत्त केंद्रीय प्रापण एजेंसी (सी पी ए) स्थापित करने का निर्णय लिया है।

2. तदनुसार केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी (सीएमएसएस) को सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत 22 मार्च 2012 को पंजीकरण संख्या एस/094/2012 के तहत पंजीकृत कर लिया गया है जिसका पंजीकृत कार्यालय निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110011 में है।

3. सीएमएसएस स्वास्थ्य सेवा वस्तुओं का पारदर्शी और लागत प्रभावी तरीके से प्रापण करने तथा उन्हें 50 स्थलों पर गोदामों सहित एक आईटी सक्षम आपूर्ति श्रृंखला की स्थापना करने, राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों में वितरित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

4. सीएमएसएस का प्रमुख उद्देश्य राज्य सरकार को स्वास्थ्य क्षेत्र संबंधी वस्तुओं की अबाधित आपूर्ति सुनिश्चित करना है, जिससे जिला अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों जैसे सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों की आपूर्ति बनी रहे।

5. सीएमएसएस प्रापण के लिए दो-बोली व्यवस्था (टू बिड सिस्टम) की एक पूर्णतः पारदर्शी प्रक्रिया का अनुपालन करेगा और प्रापण के संबंध में सभी निर्णय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संदर्भ के बिना सीएमएसएस द्वारा लिए जाएंगे। तथापि प्रापण और इसके निष्पादन की निगरानी से संबंधित नीतिगत निर्णयों के लिए मंत्रालय जिम्मेदार होगा।

6. सीएमएसएस, राज्य सरकारों को उनके राज्यों में प्रापण व्यवस्था में सुधारने के लिए इसी प्रकार के संगठनों की स्थापना में भी सहायता करेगा।

केशव देसिराजु, सचिव

शासी निकाय

क्र.स.	नाम	पद
1	सुश्री रोली सिंह	अपर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं अध्यक्ष शासी निकाय, सीएमएसएस
2	श्री जयदीप कुमार मिश्रा	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
3	सुश्री वी. हेकाली झिमोमी	अपर सचिव एवं महानिदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
4	सुश्री अराधना पटनायक	अपर सचिव एवं मिशन निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
5	श्री राजेश गुप्ता	महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीएमएसएस
6	श्री विजय नेहरा	संयुक्त सचिव (खरीद), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
7	श्री सौरभ जैन	संयुक्त सचिव (एनएचएम), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
8	सुश्री मीरा श्रीवास्तव	संयुक्त सचिव (आरसीएच), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
9	डॉ. के.के. त्रिपाठी	आर्थिक सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
10	डॉ. राजीव सिंह रघुवंशी	डीसीजी (आई), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
11	डॉ. संध्या काबरा	उप-आयुक्त (एनवीएचसीपी), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
12	डॉ. तनु जैन	निदेशक (एनसीवीबीडीसी) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
13	प्रोफेसर डॉ.उर्वशी बी.सिंह	उप महानिदेशक (एनटीईपी), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
14	डॉ. पवन कुमार	अतिरिक्त आयुक्त (यूआईपी), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
15	डॉ. शोबिनी राजन	उप महानिदेशक (एनएसीओ), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
16	डॉ. गोविंद बंसल	निदेशक (एफडब्ल्यूपी), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
17	श्री मनोज कुमार सिन्हा	उप सचिव (खरीद), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
18	डॉ. एस.बी. दीपक कुमार	प्रधान सचिव (स्वास्थ्य), आईएएस, दिल्ली सरकार।
19	श्री सुधीर राजपाल	अतिरिक्त मुख्य सचिव, आईएएस, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, हरियाणा सरकार, चंडीगढ़।
20	श्री थिरु. एम. अरविंद	एमडी, आईएएस, टीएनएमएससीएल, चेन्नई।
21	डॉ. विनय गोयल	एमडी, आईएएस, केएमएससीएल, तिरुवनंतपुरम।
22	सुश्री नेहा गिरि	एमडी, आईएएस, आरएमएससीएल, राजस्थान।

अस्वीकरण (Disclaimer)

“प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद है। यदि इस में कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।”

ए.एम.जी-IV/एस.ए.आर/सी.एम.स.स/2025-26/

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा
(केन्द्रीय व्यय),
ऑडिटर भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट,
नई दिल्ली-110002



COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA
ओडिटर जनरल इण्डिया
Dedicated to Truth in Public Interest

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL
OF AUDIT (CENTRAL EXPENDITURE),
AUDIT BHAWAN, INDRAPRASTHA ESTATE,
NEW DELHI-110002

ए.एम.जी-IV/एस.ए.आर/सी.एम.स.स/2025-26/

दिनांक:

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार,
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय,
निर्माण भवन, नई दिल्ली-110001

विषय : वर्ष 2024-25 के लिए केन्द्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी, नई दिल्ली के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

महोदया,

मैं केन्द्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 2024-25 के प्रमाणित वार्षिक लेखों की प्रति उसके प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति सहित संसद के पटल पर रखने के लिए संलग्न करती हूँ ।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किये गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय, 9, टौनहलाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124, को भेजी जाए ।

कृपया यह सुनिश्चित किया जाये कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक लेखाओं को शासी निकाय (Governing Body) द्वारा अनुमोदित अवश्य करा लिया जाये तथा यह भी सुनिश्चित करें कि 2024-25 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र को संसद के पटल पर रखने से पहले सभी पूर्व वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र संसद के पटल पर प्रस्तुत किये जा चुके हों ।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद एवं इसे जारी करने से सम्बन्धित सभी कार्यों को आपके निकाय द्वारा किया जाना ही अपेक्षित है । पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद जारी करते समय निम्नलिखित अस्वीकरण (disclaimer) अंकित करें।

"प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद है। यदि इस में कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा ।"

भवदीया,

अनुलग्नक: यथोपरि

— E-261 —
(एकता सिंह)

उप-निदेशक (ए.एम.जी-IV)

ए.एम.जी-IV/एस.ए.आर/सी.एम.स.स/2024-25/397

दिनांक: 24.11.2025

24 NOV 2025

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति, श्री विजय नेहरा, महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, केन्द्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी, दूसरी मंजिल, विश्व युवक केंद्र, तीन मूर्ति मार्ग, पुलिस स्टेशन के सामने, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021, को आवश्यक कार्यवाही हेतु अद्योषित की जाती है।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किये गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124 को भेजी जाए।

अनुलग्नक: यथोपरि

एकता सिंह
24.11.25

(एकता सिंह)

उप-निदेशक (ए.एम.जी-IV)

ए.एम.जी-IV/एस.ए.आर/सी.एम.स.स/2024-25/

दिनांक:

केन्द्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी, नई दिल्ली का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र सहित प्रधान निदेशक (स्वायत्त निकाय), भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय, 9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124 को अद्योषित की जाती है।

यह पत्र महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय) के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

अनुलग्नक: यथोपरि

— एकता सिंह —

(एकता सिंह)

उप-निदेशक (ए.एम.जी-IV)

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी (सीएमएसएस) के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की राय

राय

हमने केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी (सीएमएसएस) के वित्तीय विवरणों का लेखा-परीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च 2025 तक की वित्तीय स्थिति का विवरण और उसी वर्ष समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता/प्राप्ति एवं भुगतान खाता, तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अंतर्गत महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सारांश सहित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ शामिल हैं। यह लेखा-परीक्षण 2027-28 तक की अवधि के लिए सौंपा गया है।

इस लेखा-परीक्षण रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन प्रथाओं के अनुरूपता, लेखांकन मानकों, प्रकटीकरण मानदंडों आदि के संबंध में लेखांकन व्यवहार पर टिप्पणियाँ शामिल हैं। कानून, नियमों और विनियमों (औचित्य एवं नियमितता) के अनुपालन और दक्षता-सह-निष्पादन पहलुओं आदि के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखा-परीक्षण टिप्पणियाँ, यदि कोई हों, निरीक्षण रिपोर्टों/सीएजी की लेखा-परीक्षण रिपोर्टों के माध्यम से अलग से रिपोर्ट की जाती हैं।

हमारी राय में, सीएमएसएस के साथ दिए गए वित्तीय विवरण, लेखांकन नीतियों और उन पर नोट्स और पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित अन्य मामलों के साथ पढ़े जाने पर, 31 मार्च, 2025 तक सीएमएसएस की वित्तीय स्थिति और उसके वित्तीय प्रदर्शन और खातों के एक समान प्रारूप के अनुसार समाप्त वर्ष के लिए उसके नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

राय का आधार

हमने अपनी लेखापरीक्षा सीएजी के लेखापरीक्षा नियमों/मानकों/मैनुअल/दिशानिर्देशों/मार्गदर्शन-टिप्पणियों/आदेशों/परिपत्रों आदि के अनुसार की है। हमारी जिम्मेदारियों का विवरण हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियाँ अनुभाग में दिया गया है। वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार, हम सीएमएसएस से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी योग्य राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारियाँ

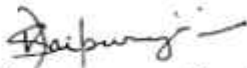
सीएमएसएस की शासी निकाय, खातों के एकसमान प्रारूप के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी और निष्पक्ष प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार है, और आंतरिक नियंत्रण के लिए भी, जैसा कि प्रबंधन आवश्यक समझता है, वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए आवश्यक है, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों या किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त हों।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र वित्तीय विवरण किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली किसी भी प्रकार की गलतबयानी से मुक्त हैं, और एक लेखापरीक्षक रिपोर्ट जारी करना है जिसमें सीएजी के लेखापरीक्षा नियमों / मानकों / मैनुअल / दिशानिर्देशों / मार्गदर्शन – टिप्पणियों / आदेशा / परिपत्रों आदि के अनुसार हमारी राय शामिल हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 24.11.2025


(सौरव कुमार जयपुरियार)
महानिदेशक, लेखापरीक्षा
(केंद्रीय व्यय)

31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि के लिए केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी के वार्षिक लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

क. तुलन पत्र

क.1 परिसंपत्तियाँ

क.1.1 चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम आदि (अनुसूची-04) – ₹1395.40 करोड़

क.1.1.1 सीएमएसएस ने अनुसूची-4 “चालू संपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम, आदि” में ₹600.24 करोड़ की राशि को व्यापार में स्टॉक के रूप में दर्शाया है, जिसमें ₹74.03 करोड़ मूल्य की एक्सपायर हो चुकी दवाइयाँ (वर्ष 2024-25 के दौरान एक्सपायर हो चुकी ₹0.01 करोड़ मूल्य की दवाइयाँ) शामिल हैं। चूंकि इन एक्सपायर हो चुकी दवाओं को आपूर्ति/बिक्री के लिए माल नहीं माना जा सकता, इसलिए इन्हें इन्वेंट्री से घटाना आवश्यक है।

इसके परिणामस्वरूप चालू परिसंपत्तियों को ₹74.03 करोड़ अधिक, कॉर्पस/पूंजीगत निधि को ₹74.02 करोड़ अधिक और व्यय को ₹0.01 करोड़ कम दर्शाया गया। इसी प्रकार का अवलोकन (टिप्पणी संख्या क -1.1.1) सीएमएसएस को वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए सीएजी के खातों पर जारी किया गया था। हालाँकि, सीएमएसएस द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

ख जनरल

ख 1 31.03.2025 तक, सीएमएसएस के पास विभिन्न कार्यक्रम प्रभागों से संबंधित ₹464.30 करोड़ की अव्ययित राशि थी, जिनमें से कुछ सितंबर 2019 तक की हैं। इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम निधि पर अर्जित ₹18.78 करोड़ का अव्ययित ब्याज और आपूर्तिकर्ताओं से वसूले गए कुल ₹760.40 करोड़ की परिसमाप्त क्षतिपूर्ति भी सीएमएसएस के पास पड़ी थी। ये राशियाँ संबंधित कार्यक्रम प्रभागों को देय हैं। विलंबित खरीद के परिणामस्वरूप ये शेष राशियाँ जमा हो गई हैं। अव्ययित कार्यक्रम निधियों का उपयोग समय पर खरीद पूरी करके किया जाना चाहिए, और ब्याज तथा परिसमाप्त क्षतिपूर्ति संबंधित प्रभागों को वापस कर दी जानी चाहिए।

ख.2 सीएमएसएस ने अनुसूची 4: चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम में अग्रिम एवं अन्य वसूली योग्य राशियों के अंतर्गत ₹41.18 करोड़ और विविध लेनदार (कार्यक्रम हेतु वस्तुएँ) शीर्षक के अंतर्गत ₹423.35 करोड़, अनुसूची 2: चालू देयताएँ एवं प्रावधान में अन्य चालू देयताएँ: परिसमाप्त क्षतियाँ शीर्षक के अंतर्गत ₹61.94 करोड़ की सूचना दी है। हालाँकि, यह देखा गया है कि सीएमएसएस इसके लिए कोई रजिस्टर या रिकॉर्ड नहीं रखता है। हालाँकि सीएमएसएस टैली सॉफ्टवेयर में अपने खाते रखता है, लेकिन सिस्टम इन शेष राशियों का पर्याप्त आयु-वार विश्लेषण और निपटान स्थिति प्रदान नहीं करता है।

इसके अलावा, सीएमएसएस ने अनुसूची-4: चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम में विविध देनदार (विभिन्न कार्यक्रम प्रभागों से वसूली योग्य) शीर्षक के अंतर्गत ₹172.97 करोड़ की सूचना दी है। इस राशि में से ₹2.85 करोड़ वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक के हैं। सीएमएसएस को इन बकाया राशियों की वसूली के लिए निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है।

ख.3 अनुसूची-4: चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि में, सीएमएसएस ने ₹41.89 करोड़ की राशि अग्रिम और अन्य वसूली योग्य राशि के रूप में दर्शाई है। हालाँकि, इन्हें नीचे दिए गए विवरण के अनुसार वर्षों में आगे बढ़ाया गया है:

(करोड़ रुपये में)

अग्रिम और अन्य वसूली योग्य राशि	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
हेड-लैब परीक्षण वसूली योग्य धनराशि	12.09	11.08	7.29	4.88	3.86
प्रमुख-परिवहन शुल्क (गोदाम) वसूली योग्य	11.88	12.03	7.25	5.28	4.82
अन्य वसूली योग्य राशि	55.36	33.66	48.03	34.35	32.51
कुल					41.19

सीएमएसएस को इन बकाया राशियों की वसूली के लिए निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है।

ग. प्रबंधन पत्र

इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में जिन कमियों को शामिल नहीं किया गया है, उन्हें सुधारात्मक कार्रवाई हेतु अलग से जारी एक प्रबंधन पत्र के माध्यम से प्रबंधन के ध्यान में लाया गया है।

घ. आंतरिक नियंत्रण का आकलन

1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता:

सीएमएसएस में कोई आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग नहीं है। 2024-25 की अवधि के लिए सीएमएसएस का आंतरिक लेखापरीक्षा एक चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा किया गया था।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता:

खातों की पुस्तकों में समाप्त हो चुके माल को उचित रूप से दर्शाया जाना चाहिए।

3. परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली:

स्थायी परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन 31.03.2025 तक किया गया था।

4. इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन की प्रणाली:

पुस्तकों और प्रकाशनों, स्टेशनरी और अन्य उपभोग्य सामग्रियों जैसी इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन 31.03.2025 तक किया गया था।

5. बकाया राशि के भुगतान में नियमितता

लेखों के अनुसार, 31.03.2025 तक छह महीनों में बकाया वैधानिक बकाया राशि ₹9.16 करोड़ थी।

ड. सहायता अनुदान

सीएमएसएस को वर्ष 2024–25 के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से कोई सहायता अनुदान प्राप्त नहीं हुआ।

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा
(केन्द्रीय व्यय),
ऑडिट भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट,
नई दिल्ली-110002



ए.एम.जी-IV/एस.ए.आर/सी.एम.स.स/2025-26/

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL
OF AUDIT (CENTRAL EXPENDITURE),
AUDIT BHAWAN, INDRAPRASTHA ESTATE,
NEW DELHI-110002

ए.एम.जी-IV/एस.ए.आर/सी.एम.स.स/2024-25/398

दिनांक: 24.11.2025

सेवा में,

श्री विजय नेहरा,
महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
केन्द्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी,
दूसरी मंजिल, विश्व युवक केंद्र, तीन मूर्ति मार्ग,
पुलिस स्टेशन के सामने, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021

24 NOV 2025

विषय : वर्ष 2024-25 के लिए केन्द्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी, नई दिल्ली के लेखाओं के प्रबंधन पत्र के संबंध में।

महोदय,

केन्द्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 2024-25 के वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा इस कार्यालय द्वारा की गई है तथा पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन इस कार्यालय के पत्र संख्या: ए.एम.जी-IV/एस.ए.आर/सी.एम.स.स/2024-25/ 397 के द्वारा दिनांक: 24.11.2025 को जारी किया गया है। लेखा परीक्षा के दौरान पाई गई कुछ विसंगतियों को संलग्न अनुबंध में दर्शाया गया है।

अतः इन विसंगतियों पर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए यह अनुरोध है कि इन पर उचित सुधारात्मक कारवाई की जाये।

अनुलग्नक: यथोपरि

भवदीया,

एकता सिंह
24.11.25

(एकता सिंह)

उप-निदेशक (ए.एम.जी-IV)

पत्र संख्या एमजी / IV/एसएआर/सीएमएसएस/2025/26/398 का अनुलग्नक

1. सीएमएसएस ने अनुसूची 13 के अन्य प्रशासनिक व्ययों के अंतर्गत "व्यावसायिक शुल्क ₹26,83,735" दर्शाया है, जिसमें ₹10.00 लाख की मध्यस्थता शुल्क शामिल है। 31.03.2025 तक लागू जीएसटी, जीएसटी विभाग को जमा नहीं किया गया है। इसे अनुसूची 2: वर्तमान देयताएँ और प्रावधान के अंतर्गत दर्शाया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप, अलिखित कर व्यय के कारण वर्तमान देयताएँ कम दर्शाई गई हैं और अधिशेष बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया है।
2. ₹1.60 लाख की राशि को पूर्व अवधि के व्यय के रूप में दर्शाया गया है। इस प्रकार, इसके परिणामस्वरूप व्यय को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया है और चालू वित्तीय वर्ष के अधिशेष को भी उतनी ही राशि से कम दर्शाया गया है।
3. सीएमएसएस के खातों का निर्धारण, सीजीए द्वारा निर्धारित केंद्रीय स्वायत्त निकायों (सीएबी) के लिए खातों के एकरूप प्रारूप के अनुरूप नहीं था।
4. अनुसूची-2 (वर्तमान देयताएँ और प्रावधान) में, "अन्य वर्तमान देयताएँ" के अंतर्गत, परिषद ने प्रतिभूति जमा और ईएमडी शीर्षक के अंतर्गत ₹9.35 करोड़ की राशि दर्शाई है। इस राशि में ₹3.81 करोड़ की बयाना राशि शामिल है, जो तीन वर्षों से अधिक समय से चली आ रही है। सीएमएसएस को लंबित मामलों के कारणों का विश्लेषण करना चाहिए और जो जमा राशियाँ किसी मुकदमे के कारण लंबित नहीं हैं, उन्हें समायोजित किया जाना चाहिए।
5. सीएमएसएस पर पिछले वित्तीय वर्षों से टीडीएस भुगतान में चूक के कारण ₹1.65 लाख की बकाया मांग है। हालाँकि, इन मांगों को न तो खातों में देनदारियों के रूप में मान्यता दी गई है और न ही खातों के नोट्स में आकस्मिक देनदारियों के रूप में दर्शाया गया है।
6. आयकर विभाग से वर्ष 2013-14, 2015-16 और 2024-25 की अवधि के लिए ₹5.24 करोड़ की राशि के स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) और वर्ष 2024-25 के लिए ₹2.51 लाख की राशि के स्रोतों पर कर संग्रहण (टीसीएस) की वापसी देय है। विभाग से जल्द से जल्द रिफंड प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रयास किए जाने चाहिए।
7. अतिरिक्त आयुक्त (न्यायनिर्णय), बेंगलुरु द्वारा सितंबर 2017 से मार्च 2024 की अवधि के लिए दिनांक 13.01.2025 के आदेश के तहत ₹82.06 करोड़ का कर, ₹82.06 करोड़ का ब्याज और ₹163.31 करोड़ का जुर्माना सहित ₹327.43 करोड़ की मांग की गई थी। हालाँकि, खातों पर नोट्स में इस मांग का गलत तरीके से खुलासा किया गया है (क्रम संख्या 2- आकस्मिक देयताएँ) अतिरिक्त आयुक्त (न्यायनिर्णय), गुजरात से संबंधित है।

8. लेखांकन मानक 5 – लाभ–हानि विवरण में सामान्य गतिविधियों, असाधारण मदों और पूर्व अवधि की मदों से लाभ या हानि प्रस्तुत करने, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तनों का लेखा–जोखा रखने और लेखांकन नीतियों में परिवर्तनों के प्रकटीकरण में लागू होता है।

इस मानक के अनुसार, पूर्व अवधि की मदों को सामान्यतः तुलन–पत्र के माध्यम से दर्ज किया जाना चाहिए, न कि आय–व्यय खातों के माध्यम से। सीएमएसएस ने पूर्व अवधि की कुछ मदों को चालू वर्ष के आय–व्यय खातों में दर्ज किया है। यह व्यवहार पूर्वोक्त लेखांकन मानक के प्रावधानों का उल्लंघन करता है।

9. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की अनुसूची की लेखांकन नीति, एस 15 में निर्धारित प्रकटीकरण आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है।

केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय
(एजेंसी सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के XXI के तहत पंजीकृत है, पंजीकरण संख्या S/094/2012 दिनांक 22/03/2012)
रजि. कार्यालय: 502 ए. निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110001
(पैन AABAC6275F)

तुलन पत्र
31 मार्च 2025 तक

(राशि रुपये में)

विवरण	अनुसूची	2024-25	2023-24
कॉर्पस/पूंजी निधि और देयताएं			
कॉर्पस/पूंजी निधि	1	4,14,82,34,206	3,05,60,45,166
भंडार और अधिशेष	-	-	-
निर्धारित/बंदोबस्ती निधि	-	-	-
ऋण और उधार	-	-	-
वर्तमान देयताएं और प्रावधान	2	9,85,50,00,394	9,65,58,55,086
कुल		14,00,32,34,600	12,71,19,00,252
संपत्ति			
अचल संपत्तियाँ	3	4,92,01,750	5,21,72,753
निवेश	-	-	-
चालू संपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि	4	13,95,40,32,850	12,65,97,27,499
विविध व्यय (बड़े खाते में डाले या समायोजित न किए गए)	-	-	-
कुल		14,00,32,34,600	12,71,19,00,252
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	14		
आकस्मिक देयताएँ और खातों पर टिप्पणियाँ	15		

उपर्युक्त अनुसूचियाँ वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी
की ओर से

हस्ता/-
(देवव्रत महापात्र)
महाप्रबंधक (वित्त)



हस्ता/-
(विजय नेहरा)
डीजी एवं सीईओ

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 27 जून 2025

केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय
(एजेंसी सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के XXI के तहत पंजीकृत है, पंजीकरण संख्या S/094/2012 दिनांक 22/03/2012)
रजि. कार्यालय: 502 ए. निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110001
(पैन AABAC6275F)

आय और व्यय खाता 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

(राशि रुपये में)

विवरण	अनुसूची	2024-25	2023-24
आय			
बिक्री/सेवाओं से आय	5	1,18,36,10,510	80,60,47,566
कार्यक्रम प्रभागों को हस्तांतरित माल का मूल्य	6	27,76,02,68,909	15,25,49,29,830
गुणवत्ता नियंत्रण और निपटान के लिए हस्तांतरित माल का मूल्य	7	3,10,70,773	1,88,46,915
अर्जित ब्याज	8	15,12,77,700	10,62,25,087
अन्य आय	9	2,34,927	3,03,717
तैयार माल और प्रगतिरत कार्य के स्टॉक में वृद्धि/(कमी)	10	98,61,56,081	-4,03,84,876
कुल (क)		30,11,26,18,900	16,14,59,68,239
व्यय			
कार्यक्रम प्रभागों की ओर से की गई खरीदारी	11	28,77,74,95,762	15,23,33,91,869
स्थापना व्यय	12	8,87,95,178	6,88,03,833
अन्य प्रशासनिक व्यय	13	14,74,48,090	13,72,52,183
मूल्यहास (वर्ष के अंत में कुल योग - अनुसूची 3 के अनुरूप)	3	66,90,830	77,24,816
कुल (ख)		29,02,04,29,859	15,44,71,72,702
शेष राशि व्यय पर आय की अधिकता (क - ख)		1,09,21,89,041	69,87,95,538
विशेष रिजर्व में स्थानांतरण		-	-
सामान्य रिजर्व में / से स्थानांतरण		-	-
अधिशेष शेष को पूंजी निधि में ले जाया जा रहा है		1,09,21,89,041	69,87,95,538
महत्वपूर्ण लेखा नीति	14		
आकस्मिक देयताएँ और खातों पर टिप्पणियाँ	15		

ऊपर उल्लिखित अनुसूचियाँ वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी
की ओर से

हस्ता/-
(देवव्रत महापात्र)
महाप्रबंधक (वित्त)



हस्ता/-
(विजय नेहरा)
डीजी एवं सीईओ

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 27 जून 2025

केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय
(एजेंसी सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के XXI के तहत पंजीकृत है, पंजीकरण संख्या S/094/2012 दिनांक 22/03/2012)
रजि. कार्यालय: 502 ए, निर्माण भवन, मौलाना आज़ाद रोड, नई दिल्ली-110001

(पैन AABAC6275F)

रसीद और भुगतान खाता
31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

(राशि रुपये में)

प्राप्तियाँ	2024-25	2023-24	भुगतान	2024-25	2023-24
I- कार्यात्मक शेष राशि			I- व्यय		
क) हाथ में नकदी	-	-	क) सहायता एवं प्रशासनिक व्यय	29,20,45,307	29,31,23,618
ख) बैंक शेष राशि			II- खरीद के लिए अधिम भुगतान		
i. जमा खातों में	5,52,78,76,890	6,13,67,33,934	क) दवाओं की खरीद	27,88,63,65,661	12,29,40,07,003
ii. बचत खातों में	29,39,14,934	14,24,57,879	ख) परिवहन शुल्क	3,48,56,969	2,41,09,841
II- खरीद के लिए प्राप्त अधिम राशि			ग) प्रयोगशाला परीक्षण व्यय	2,80,20,140	2,21,86,396
क) भारत सरकार (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) से			III- निवेश और जमा राशि	-	-
i. राष्ट्रीय केबलर जनित रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीवीबीडीसी)	31,86,91,706	74,95,43,293	IV- अचल संपत्तियों और पूंजीगत कार्य-प्रणाली पर व्यय		
ii. परिवार कल्याण कार्यक्रम (एफडब्ल्यूपी)	1,22,88,91,128	68,64,35,967	क) अचल संपत्तियों की खरीद	22,25,263	8,76,421
iii. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एनएसीओ)	6,37,61,10,278	7,17,34,71,018	V- अधिवेश वनकन की वापसी		
iv. राष्ट्रीय क्षय रोग वनमूलन कार्यक्रम (एनटीईपी)	19,74,34,88,023	4,00,43,19,530	क) भारत सरकार (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) को		
v. राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीएचसीपी)	1,05,38,26,713	16,54,80,051	i. राष्ट्रीय केबलर जनित रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीवीबीडीसी)	9,22,86,030	65,52,270
vi. सांवेभिमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी)	60,96,85,743	82,19,73,490	ii. परिवार कल्याण कार्यक्रम (एफडब्ल्यूपी)	1,73,80,998	26,31,79,886
vii. बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (सीएवपी)	-	2,75,17,043	iii. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एनएसीओ)	18,14,34,476	4,21,06,566
ख) अन्य स्रोतों से			iv. राष्ट्रीय क्षय रोग वनमूलन कार्यक्रम (एनटीईपी)	1,77,56,46,883	1,54,49,68,343
i. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ)	3,63,45,481	-	v. राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीएचसीपी)	40,84,76,852	3,76,50,018
ii. सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ)	1,48,93,096	-	vi. सांवेभिमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी)	11,32,36,053	-
iii. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ)	1,78,73,703	-	vii. पीएम केयर फंड	-	61,20,339
iv. छत्तीसगढ़ सरकार	2,82,80,000	-	viii. वायान जंतराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए)	-	5,26,44,900
III- निवेश पर आय	-	-	ix. जेएसआर ऑक्सीजन सिलेंडर	-	84,17,910
IV- प्राप्त ब्याज (टीबीएस घटाकर)			ख) अन्य स्रोतों को		
क) बैंक जमा और बचत पर	40,92,45,388	30,22,94,425	i. सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ)	1,48,93,096	-
ख) आयकर वापसी पर ब्याज	79,87,326	35,13,922	ii. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ)	1,78,73,703	-
V- आय			iii. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ)	2,54,80,861	-
क) प्रकृतन शुल्क	45,38,21,591	16,37,23,121	VI- अन्य भुगतान		
ख) शिथिल प्राप्ति	48,135	1,75,126	क) सुरक्षा जमा और अधिम राशि	4,19,02,476	3,21,37,976
VI- उधार ली गई राशि	-	-	ख) यात्रा अधिम और अप्रदाय राशि	48,28,256	37,98,884
VII- कोई अन्य प्राप्ति			VII- समापन शेष		
क) आयकर वापसी	8,25,16,445	5,40,60,348	क) हाथ में नकदी	-	-
ख) अधिम जमा और सुरक्षा जमा	32,76,75,074	2,15,45,110	ख) बैंक शेष		
ग) दवाओं के निपटान से प्राप्ति	46,067	4,27,937	i. जमा खातों में	4,63,57,21,093	5,52,78,76,890
			ii. बचत खातों में	95,85,43,603	29,39,14,934
कुल	36,53,12,17,720	20,45,36,72,194	कुल	36,53,12,17,720	20,45,36,72,194

केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी
की ओर से

हस्ता/-
(देवव्रत महापात्र)
महाप्रबंधक (वित्त)



हस्ता/-
(विजय मेहरा)
डीजी एवं सीईओ

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 27 जून 2025

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय
(एजेंसी सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के XXI के तहत पंजीकृत है, पंजीकरण संख्या S/094/2012 दिनांक 22/03/2012)
रजि. कार्यालय: 502 ए, निर्माण भवन, मौलाना आज़ाद रोड, नई दिल्ली-110001
(पैन AABAC6275F)

अनुसूची 1: कॉर्पस/पूंजी निधि

ब्यौरा		2024-25		2023-24	
क)	कॉर्पस/पूँजी निधि वर्ष की शुरुआत में शेष राशि जोड़ें: कॉर्पस/पूँजी निधि में योगदान जोड़ें/घटाएँ: आय और व्यय खाते से हस्तांतरित शुद्ध आय/(व्यय) का शेष	-	3,05,60,45,166	-	2,35,72,49,628
		1,09,21,89,041	1,09,21,89,041	69,87,95,538	69,87,95,538
वर्ष के अंत में शेष राशि			4,14,82,34,206		3,05,60,45,166



केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय
(एजेंसी सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के XXI के तहत पंजीकृत है, पंजीकरण संख्या S/094/2012 दिनांक 22/03/2012)
रजि. कार्यालय: 502 ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110001
(पैन AABAC6275F)

तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां 31 मार्च 2025 तक

अनुसूची 2: वर्तमान देयताएँ और प्रावधान

(राशि रुपये में)

व्यौरा		2024-25		2023-24	
क.	वर्तमान देनदारियां				
1)	विविध लेनदार:				
	क) बस्तुओं के लिए				
	— कार्यक्रम	4,23,34,95,054		4,61,39,22,929	
	— सी.एम.एस.एस	4,46,185	4,23,39,41,239	12,633	4,61,39,35,562
	ख) अन्य के लिए				
	— कार्यक्रम	79,00,883		17,39,497	
	— सी.एम.एस.एस	1,02,15,734	1,81,16,618	50,18,590	67,58,087
2)	कार्यक्रमों से प्राप्त अग्रिम				
	क) केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ)	5,09,49,905		4,80,52,234	
	ख) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एनएसीओ)	3,12,83,18,552		3,74,03,44,089	
	ग) राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीवीबीडीसी)	14,84,30,671		30,61,53,765	
	घ) राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीएचसीपी)	10,08,38,999		10,27,09,168	
	ङ) राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी)	70,63,09,635		4,14,25,446	
	च) बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (सीएचपी)	-		88,76,262	
	छ) जेएसआर — ऑक्सीजन सिलेंडर	22,84,974		22,84,974	
	ज) पीएम कैंसर फंड	60,70,68,091		62,83,42,529	
	झ) राष्ट्रीय तंबाकू परीक्षण प्रयोगशालाएँ (एनटीटीएल)	62,00,540		54,60,719	
	झ) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ)	1,08,65,298		2,05,656	
	ट) छत्तीसगढ़ सरकार	2,82,80,000	4,78,95,46,665	-	4,88,38,54,842
3)	वैधानिक दायित्व :				
	क) अतिदेय	5,400		5,400	
	ख) अन्य	9,15,53,944	9,15,59,344	6,62,77,702	6,62,83,102
4)	अन्य वर्तमान देनदारियां				
	क) परिसमाप्त क्षतियाँ	61,93,86,520		36,71,775	
	ख) सुरक्षा जमा और अग्रिम राशि	9,34,51,784		7,41,50,309	
	ग) अन्य देय राशियाँ	6,719		3,000	
	घ) देय गोदाम अग्रदाय व्यय	1,03,997	71,29,49,020	63,343	7,78,88,427
कुल (क)			9,84,61,12,885		9,64,87,20,020



केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय
एजेंसी सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के XXI के तहत पंजीकृत है, पंजीकरण संख्या S/094/2012 दिनांक 22/03/2012)
रजि. कार्यालय: 502 ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110001
(पैन AABAC6275F)

तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां 31 मार्च 2025 तक

अनुसूची 2: वर्तमान देयताएँ और प्रावधान

(राशि रुपये में)

व्यौरा		2024-25		2023-24	
ख.	प्रावधान				
1)	ग्रेजुटी		42,59,736		35,32,523
2)	संचित अवकाश नकदीकरण		38,60,557		28,90,481
3)	अन्य—				
	क) आंतरिक लेखा परीक्षा शुल्क	48,600		1,02,600	
	ख) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा परीक्षा शुल्क				
	— चालू वर्ष	4,20,000		1,20,000	
	— पिछले वर्ष	2,37,400		1,17,400	
	ग) देय विधिक शुल्क	60,182		1,98,000	
	घ) देय वाहन किराया शुल्क	-		1,40,750	
	ड) देय टेलीफोन और संचार व्यय	-		33,312	
	च) देय अन्य व्यय	1,034	7,67,216	-	7,12,062
कुल (ख)			88,87,509		71,35,066
कुल (क + ख)			9,85,50,00,394		9,65,58,55,086



केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय
(एजेंसी सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1980 के XXI के तहत पंजीकृत है, पंजीकरण संख्या S/094/2012 दिनांक 22/03/2012)
रजि. कार्यालय: 502 ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110001
(पैन AABAC6275F)

तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ 31 मार्च 2025 तक

अनुसूची 3: अचल संपत्तियाँ

(राशि रुपये में)

विवरण	मूल्यांकन की दर	सकल ब्लॉक			मूल्यांकन				नेट ब्लॉक		
		वर्ष की शुरुआत में लागत / मूल्यांकन	वर्ष के दौरान परिवर्तन 180 दिनों से अधिक	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	वर्ष के अंत में लागत / मूल्यांकन	वर्ष की शुरुआत में	नेट ब्लॉक खोलने पर	वर्ष के दौरान परिवर्तन 180 दिनों से अधिक	वर्ष के अंत तक कुल	चालू वर्ष के अंत तक	पिछले वर्ष के अंत तक
क अचल संपत्तियाँ											
1. भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. भवन											
क) स्वामित्व परिसर	10%	4,64,19,740	-	-	4,64,19,740	2,62,11,965	20,20,778	-	2,82,32,743	1,81,86,997	2,02,07,775
3. संयंत्र, मशीनरी और उपकरण											
क) उपकरण (कार्यालय)	15%	1,05,31,404	46,139	84,628	1,06,62,231	67,83,350	5,62,218	6,922	73,58,837	33,03,394	37,48,114
ख) उपकरण (गोदाम)	10%	3,17,78,680	-	6,29,690	3,24,08,280	1,57,37,052	16,04,162	-	1,73,72,694	1,50,35,586	1,60,41,628
ग) उपकरण (गोदाम)	15%	1,83,79,432	-	-	1,83,79,432	1,27,22,277	8,48,572	-	1,35,70,849	48,08,583	56,57,155
4. फर्नीचर और फिक्स्चर	10%	64,01,112	1,03,156	4,43,591	69,47,860	28,70,986	3,53,012	10,315	32,56,492	36,91,368	35,30,126
5. कंप्यूटर सहायक उपकरण	40%	88,44,998	-	9,20,625	97,63,146	74,72,788	5,47,894	-	82,94,807	15,58,340	13,72,210
6. अन्य संपत्तियाँ											
क) अमूर्त संपत्ति	25%	1,86,45,270	-	-	1,86,45,270	1,70,29,526	4,03,936	-	1,74,33,462	12,11,808	16,15,744
ख) ई-ऑफिस (लाइट)	(नोट 5.4)	-	-	14,94,564	14,94,564	-	-	-	88,890	14,05,674	-
चालू वर्ष का कुल योग		14,10,00,697	1,49,295	35,73,009	14,47,20,524	8,88,27,944	63,40,572	17,237	9,55,18,774	4,92,01,750	5,21,72,753
पिछला वर्ष		14,15,75,843	6,45,005	1,95,388	14,15,540	8,11,03,128	74,71,337	2,17,998	8,88,27,944	5,21,72,753	6,04,72,715
ख पूंजीगत कार्य प्रगति पर										-	-
कुल										4,92,01,750	5,21,72,753

ख पूंजीगत कार्य प्रगति पर



केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय
(एजेंसी सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के XXI के तहत पंजीकृत है, पंजीकरण संख्या S/094/2012 दिनांक 22/03/2012)
रजि. कार्यालय: 502 ए, निर्माण भवन, मौलाना आज़ाद रोड, नई दिल्ली-110001
(पैन AABAC6275F)

तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ 31 मार्च 2025 तक

अनुसूची 4: वर्तमान संपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम, आदि

(राशि रुपये में)

व्यौरा		2024-25		2023-24	
क)	वर्तमान संपत्ति				
1)	सूची:				
	क) स्टॉक-इन-ट्रेड (कार्यक्रम)				
	— तैयार माल				
	बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (सीएचपी)	7,27,074		1,73,92,170	
	परिवार कल्याण कार्यक्रम (एफडब्ल्यूपी)	12,95,44,502		36,51,95,398	
	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एनएसीओ)	1,73,79,90,242		2,18,25,70,860	
	राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीवीबीडीसी)	25,13,05,116		22,79,71,013	
	राष्ट्रीय वेक्टर हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीएचसीपी)	28,21,61,143		12,88,95,535	
	राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी)	3,60,06,89,159	6,00,24,17,236	2,09,42,36,179	5,01,62,61,155
	ख) मुद्रण एवं लेखन सामग्री		1,39,630		1,25,255
2)	विविध देनदार:				
	अन्य (कार्यक्रम)				
	बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (सीएचपी)	13,63,312		13,63,312	
	परिवार कल्याण कार्यक्रम (एफडब्ल्यूपी)	2,11,93,437		2,12,42,828	
	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एनएसीओ)	44,64,50,258		37,13,68,132	
	राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीवीबीडीसी)	1,26,30,731		1,13,77,762	
	राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीएचसीपी)	3,55,40,231		1,13,10,416	
	राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी)	62,90,82,060		62,19,01,290	
	सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी)	58,33,99,137		4,42,48,996	
	राष्ट्रीय तंबाकू परीक्षण प्रयोगशाला (एनटीटीएल)	-		22,04,874	
	जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए)	-	1,72,96,59,167	2,13,00,000	1,10,63,17,610
3)	हाथ में नकद शेष (चेक/ड्राफ्ट और अग्रदाय सहित)		-		-
4)	बैंक बैलेंस:				
	क) अनुसूचित बैंक के साथ				
	— जमा खातों पर	4,63,57,21,093		5,52,78,76,890	
	— बचत खातों पर	95,85,43,603	5,59,42,64,696	29,39,14,934	5,82,17,91,824
	ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ		-		-
कुल (क)			13,32,64,80,729		11,94,44,95,844

केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय
(एजेंसी सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1960 के XXI के तहत पंजीकृत है, पंजीकरण संख्या S/094/2012 दिनांक 22/03/2012)
रजि. कार्यालय: 502 ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110001
(पैन AABAC6275F)

तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ 31 मार्च 2025 तक

अनुसूची 4: वर्तमान संपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम, आदि

(राशि रुपये में)

व्योरा		2024-25		2023-24	
ख.	ऋण, अग्रिम और अन्य संपत्तियाँ				
1)	ऋण		-		-
2)	नकद या वस्तु के रूप में या प्राप्त होने वाले मूल्य के लिए वसूली योग्य अग्रिम और अन्य राशियाँ				
	क) पूर्व भुगतान				
	— सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी)	19,96,41,288		16,88,68,122	
	— परिवार कल्याण कार्यक्रम (एफडब्ल्यूपी)	8,14,61,040		17,46,71,617	
	— बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (सीएचपी)	4,39,46,108		-	
	— प्रयोगशाला परीक्षण शुल्क (कार्यक्रम)	3,85,76,569		4,88,42,925	
	— परिवहन शुल्क (कार्यक्रम)	4,82,46,176	41,18,71,181	5,27,90,298	44,51,72,962
	ख) अन्य				
	— सुरक्षा जमा		35,22,620		15,64,087
3)	अर्जित ब्याज अन्य				
	— बैंक में जमा राशि पर	9,14,41,341		11,62,20,724	
	— बचत खातों पर	13,52,831	9,27,94,171	1,23,380	11,63,44,104
4)	प्राप्य दावे				
	क) मुख्य श्रम आयुक्त (दिल्ली)	-		7,28,101	
	ख) उप आयुक्त - जीएसटी - कर्नाटक सरकार	1,62,61,008		1,62,61,008	
	ग) दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र	2,83,936		2,83,936	
	घ) भारत खनिज एवं रासायनिक उद्योग (मध्यस्थता)	4,87,72,371		4,87,72,371	
	ङ) स्रोत पर कर कटौती	4,89,55,686		3,50,96,518	
	च) देय आयकर वापसी (पूर्व वर्षों में)	34,62,850		5,08,82,782	
	छ) प्राप्य टीसीएस	2,51,443		-	
	ज) वसूली योग्य अन्य राशियाँ	13,76,856	11,93,64,150	1,25,786	15,21,50,502
कुल (ख)			62,75,52,121		71,52,31,655
कुल (क + ख)			13,95,40,32,850		12,65,97,27,499



केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय
(एजेंसी सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के XXI के तहत पंजीकृत है, पंजीकरण संख्या S/094/2012 दिनांक 22/03/2012)
रजि. कार्यालय: 502 ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110001
(पैन AABAC6275F)

आय और व्यय का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

अनुसूची 5: बिक्री/सेवाओं से आय

(राशि रुपये में)

व्यौरा		2024-25	2023-24
1)	बिक्री से आय	-	-
2)	सेवाओं से आय		
	क) एनसीवीबीडीसी की खरीद के लिए प्रबंधन शुल्क	45,26,606	2,10,56,823
	ख) एनवीएचसीपी की खरीद के लिए प्रबंधन शुल्क	3,09,40,090	1,10,02,382
	ग) एनटीईपी (आरएनटीसीपी) की खरीद के लिए प्रबंधन शुल्क	49,66,22,101	43,00,44,497
	घ) एफडब्ल्यूपी की खरीद के लिए प्रबंधन शुल्क	3,45,74,083	1,97,09,165
	ङ) नाको की खरीद के लिए प्रबंधन शुल्क	7,64,90,354	34,82,82,402
	च) यूआईपी की खरीद के लिए प्रबंधन शुल्क	57,36,89,230	1,24,20,243
	छ) सीएचपी की खरीद के लिए प्रबंधन शुल्क	-	13,63,312
	ज) एनटीटीएल की खरीद के लिए प्रबंधन शुल्क	-	8,38,674
	झ) अन्य की खरीद के लिए प्रबंधन शुल्क	5,32,000	-
3)	पिछले वर्षों के दौरान अधिक दर्ज की गई आय का प्रत्यावर्तन		
	क) नाको की खरीद के लिए प्रबंधन शुल्क	-	1,78,52,296
	ख) यूआईपी की खरीद के लिए प्रबंधन शुल्क	24,55,333	2,08,17,636
	ग) एनसीवीबीडीसी की खरीद के लिए प्रबंधन शुल्क	472	-
	घ) एनटीटीएल की खरीद के लिए प्रबंधन शुल्क	22,77,000	-
	ङ) एफडब्ल्यूपी की खरीद के लिए प्रबंधन शुल्क	6,68,325	-
	च) एनटीईपी की खरीद के लिए प्रबंधन शुल्क	70,62,824	-
	छ) जेआईसीए की खरीद के लिए प्रबंधन शुल्क	2,13,00,000	-
कुल [(1) + (2) - (3)]		1,18,36,10,510	80,60,47,566



केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय
(एजेंसी सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के XXI के तहत पंजीकृत है, पंजीकरण संख्या S/094/2012 दिनांक 22/03/2012)
रजि. कार्यालय: 502 ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110001
(पैन AABAC6275F)

आय और व्यय का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

अनुसूची 6: कार्यक्रम प्रभाग को हस्तांतरित माल का मूल्य

(राशि रुपये में)

ब्यौरा	2024-25	2023-24
1) कार्यक्रम प्रभाग को हस्तांतरित माल का मूल्य		
क) राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीवीबीडीसी)	37,09,47,774	41,06,24,633
ख) परिवार कल्याण कार्यक्रम (एफडब्ल्यूपी)	1,09,37,22,980	60,23,47,185
ग) राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी)	18,23,25,30,214	8,08,37,92,772
घ) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एनएसीओ)	6,87,50,16,594	4,97,11,56,092
ङ) राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीएचसीपी)	64,82,48,813	24,11,42,757
च) सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी)	49,10,26,198	85,80,87,792
छ) बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (सीएचपी)	4,87,76,336	6,19,07,798
ज) राष्ट्रीय तंबाकू परीक्षण प्रयोगशाला (एनटीटीएल)	-	2,58,70,801
कुल	27,76,02,68,909	15,25,49,29,830

अनुसूची 7: गुणवत्ता नियंत्रण और निपटान के लिए हस्तांतरित माल का मूल्य

(राशि रुपये में)

ब्यौरा	2024-25	2023-24
1) गुणवत्ता नियंत्रण और निपटान के लिए हस्तांतरित माल का मूल्य		
क) राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीवीबीडीसी)	1,83,775	2,25,223
ख) परिवार कल्याण कार्यक्रम (एफडब्ल्यूपी)	2,50,06,178	1,32,25,798
ग) राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी)	29,83,894	5,71,510
घ) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एनएसीओ)	28,71,988	48,13,998
ङ) राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीएचसीपी)	-	1,885
च) बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (सीएचपी)	24,938	8,501
कुल	3,10,70,773	1,88,46,915



केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय
(एजेंसी सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के XXI के तहत पंजीकृत है, पंजीकरण संख्या S/094/2012 दिनांक 22/03/2012)
रजि. कार्यालय: 502 ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110001
(पैन AABAC6275F)

आय और व्यय का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

अनुसूची 8: अर्जित ब्याज

(राशि रुपये में)

व्यौरा		2024-25	2023-24
1)	सावधि जमा पर: क) अनुसूचित बैंकों के साथ (चालू वर्ष के लिए टीडीएस - रु. 4,05,82,429/-) (पिछले वर्ष - रु. 3,30,58,568/-) ख) अन्य	40,58,23,536 - -	39,21,42,056 - -
2)	बचत खातों पर: क) अनुसूचित बैंकों के साथ ख) अन्य	2,86,57,825 -	2,30,23,675 -
3)	आयकर वापसी पर ब्याज	79,87,326	35,13,922
4)	कार्यक्रम प्रभाग को हस्तांतरित ब्याज	29,11,90,986	31,24,54,566
कुल [(1) + (2) + (3) - (4)]		15,12,77,700	10,62,25,087

अनुसूची 9: अन्य आय

(राशि रुपये में)

व्यौरा		2024-25	2023-24
1)	परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ	-	-
2)	विविध सेवाओं के लिए शुल्क	2,34,021	1,97,390
3)	विविध आय	906	1,06,327
कुल		2,34,927	3,03,717



केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय
(एजेंसी सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के XXI के तहत पंजीकृत है, पंजीकरण संख्या S/094/2012 दिनांक 22/03/2012)
रजि. कार्यालय: 502 ए, निर्माण भवन, मौलाना आज़ाद रोड, नई दिल्ली-110001
(पैन AABAC6275F)

आय और व्यय का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

अनुसूची 10: तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि / (कमी) और कार्य-प्रगति

(राशि रुपये में)

व्योरा		2024-25	2023-24
1)	समापन स्टॉक		
	क) तैयार माल	6,00,24,17,236	5,01,62,61,155
	ख) कार्य प्रगति पर	-	-
2)	घटाएँ: प्रारंभिक स्टॉक		
	क) तैयार माल	5,01,62,61,155	5,05,66,46,031
	ख) कार्य प्रगति पर	-	-
शुद्ध वृद्धि / (कमी) [(1) - (2)]		98,61,56,081	-4,03,84,876



केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय
(एजेंसी सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के XXI के तहत पंजीकृत है, पंजीकरण संख्या S/094/2012 दिनांक 22/03/2012)
रजि. कार्यालय: 502 ए, निर्माण भवन, मौलाना आज़ाद रोड, नई दिल्ली-110001
(पैन AABAC6275F)

आय और व्यय का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

अनुसूची 11: कार्यक्रम प्रभागों की ओर से खरीदारी

(राशि रुपये में)

ब्यौरा	2024-25	2023-24
1) कार्यक्रम प्रभागों की ओर से खरीदारी		
क) राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीवीबीडीसी)	39,43,63,524	45,23,09,867
ख) परिवार कल्याण कार्यक्रम (एफडब्ल्यूपी)	88,30,78,261	68,74,43,173
ग) राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी)	19,74,20,69,377	7,01,65,43,178
घ) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एनएसीओ)	6,43,33,07,803	5,87,15,60,630
ङ) राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीएचसीपी)	80,15,14,420	26,72,41,595
च) सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी)	49,10,26,198	85,80,87,792
छ) बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (सीएचपी)	3,21,36,179	5,43,34,833
ज) राष्ट्रीय तंबाकू परीक्षण प्रयोगशाला (एनटीटीएल)	-	2,58,70,801
कुल	28,77,74,95,762	15,23,33,91,869

अनुसूची 12: स्थापना व्यय

(राशि रुपये में)

ब्यौरा	2024-25	2023-24
क) वेतन और मजदूरी	7,01,92,923	6,52,17,622
ख) भत्ते और बोनस	1,08,55,801	6,76,062
ग) कर्मचारी कल्याण व्यय	12,06,663	7,33,698
घ) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और टर्मिनल लाभों पर व्यय	65,39,790	21,76,451
कुल	8,87,95,178	6,88,03,833



केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय
(एजेंसी सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के XXI के तहत पंजीकृत है, पंजीकरण संख्या S/094/2012 दिनांक 22/03/2012)
रजि. कार्यालय: 502 ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110001
(पैन AABAC6275F)

आय और व्यय का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

अनुसूची 13: अन्य प्रशासनिक व्यय

(राशि रुपये में)

व्यौरा		2024-25	2023-24
क)	बिजली और पानी के शुल्क	35,18,552	21,21,932
ख)	मरम्मत और रखरखाव (कार्यालय और गोदाम)	25,54,591	11,98,737
ग)	बीमा व्यय	1,99,972	-
घ)	मरम्मत और रखरखाव (आईटी)	9,25,545	1,89,669
ङ)	किराया, दरें और कर	11,74,98,551	11,30,34,190
च)	वाहन संचालन और रखरखाव	21,49,418	18,57,690
छ)	डाक, टेलीफोन और संचार शुल्क	5,96,141	5,98,634
ज)	मुद्रण और लेखन सामग्री	16,45,467	14,58,357
झ)	यात्रा और परिवहन व्यय	19,18,345	17,28,910
ञ)	सदस्यता व्यय	61,886	78,736
ट)	लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक	4,65,000	5,25,380
ठ)	पेशेवर शुल्क	26,83,735	14,72,322
ड)	विज्ञापन और प्रचार	4,24,062	5,33,286
ढ)	अन्य		
	– ई-औषधि रखरखाव शुल्क	85,03,608	73,02,855
	– ई-ऑफिस व्यय	37,33,353	-
	– विविध व्यय	4,10,349	3,48,871
ण)	पूर्व अवधि व्यय	1,59,515	48,02,614
कुल		14,74,48,090	13,72,52,183



केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय
(एजेंसी सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के XXI के तहत पंजीकृत है, पंजीकरण संख्या S/094/2012 दिनांक 22/03/2012)
रजि. कार्यालय: 502 ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110001
(पैन AABAC6275F)

लेखाओं का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

अनुसूची 14: महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1. लेखा तैयार करने का प्रारूप

वित्तीय विवरण, लेखा के एकसमान प्रारूप पर विशेषज्ञों की समिति की नवंबर-2000 की रिपोर्ट के आधार पर, केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए निर्धारित लेखा के एकसमान प्रारूप के अनुसार तैयार किए गए हैं।

लेखा के एकरूप प्रारूप में यह प्रावधान है कि प्रारूप को कठोर नहीं माना जाना चाहिए और इसे अपनाने में कुछ हद तक लचीलापन होना चाहिए। तदनुसार, सीएमएसएस के वित्तीय विवरण में विशेष रूप से वे अनुसूचियाँ शामिल नहीं हैं जिनमें वांछित जानकारी या तो लागू नहीं या शून्य है।

2. लेखा परंपरा

वित्तीय विवरण "ऐतिहासिक लागत परंपरा" और लेखांकन की "उपार्जन विधि" के आधार पर तैयार किए जाते हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

3. इन्वेंट्री मूल्यांकन

3.1 तैयार माल का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

3.2 लागत में अधिग्रहण की लागत और लागू कर शामिल हैं।

3.3 स्टॉक के मूल्यांकन के लिए पहले-आओ-पहले-पाओ (एफआईएफओ) पद्धति का पालन किया जाता है।

4. दीर्घकालिक निवेश

दीर्घकालिक निवेश वास्तविक लागत पर किए जाते हैं, जिसमें अधिग्रहण से जुड़ी लागत भी शामिल होती है।

5. अचल संपत्तियाँ

5.1 अचल संपत्तियों को लागत में से संयुक्त मूल्यह्रास और हानि, यदि कोई हो, घटाकर दर्शाया जाता है।

5.2 अधिग्रहण से सीधे संबंधित लागतों को तब तक पूंजीकृत किया जाता है जब तक कि संपत्तियाँ प्रबंधन की मंशा के अनुसार उपयोग के लिए तैयार न हो जाएँ।

5.3 अचल संपत्तियों से संबंधित बाद के व्यय केवल तभी पूंजीकृत किए जाते हैं जब यह संभावना हो कि इन संपत्तियों से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ सोसाइटी को प्राप्त होंगे और वस्तु की लागत का विश्वसनीय रूप से आकलन किया जा सकता है। मरम्मत और रखरखाव की लागत को आय और व्यय खाते में तब दर्ज किया जाता है जब वह व्यय होता है।

5.4 ई-ऑफिस लाइट पर मूल्यह्रास प्रारंभ प्रमाणपत्र की तिथि से और संपत्ति के उपयोगी जीवन के आधार पर प्रदान किया गया है।

5.5 आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार परिसंपत्तियों के ब्लॉक के लिखित मूल्य (डब्ल्यूडीवी) का उपयोग करके मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है।

लेखाओं का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

अनुसूची 14: महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

8. सरकारी अनुदान/अग्रिम

- 6.1 पूंजीगत लागत/कॉर्पस में योगदान के रूप में प्राप्त सरकारी अनुदानों को "कॉर्पस/पूंजी निधि" माना जाता है।
- 6.2 सरकारी अनुदान/अग्रिमों का लेखा-जोखा वसूली के आधार पर किया जाता है।
- 6.3 औषधीय आपूर्ति की खरीद के लिए प्राप्त सरकारी निधि/अनुदान जो खर्च नहीं किया गया है, उसे देयता के रूप में दर्शाया जाता है।

7. राजस्व मान्यता

- 7.1 आय की मान्यता उपार्जन के आधार पर की जाती है।
- 7.2 बिक्री में कार्यक्रम प्रभाग को लागत पर हस्तांतरित माल का मूल्य शामिल है, जिसमें कर और आकरिमक व्यय, जैसा भी लागू हो, शामिल हैं।
- 7.3 विभिन्न कार्यक्रमों से प्राप्त अग्रिम धनराशि पर अर्जित ब्याज आय को संबंधित कार्यक्रम में जमा किया जाता है और वर्तमान देयताओं के अंतर्गत दर्शाया जाता है।
- 7.4 कॉर्पस/पूंजी आरक्षित निधि पर अर्जित ब्याज आय को समिति की आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

8. प्रबंधन शुल्क

औषधीय वस्तुओं की खरीद के लिए सोसायटी द्वारा जारी किए गए लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) या क्रय आदेश पर, जैसा भी मामला हो, केंद्रीय खरीद एजेंसी (सीपीए) के रूप में कार्य करने के लिए प्रबंधन शुल्क, उपार्जन आधार पर निर्धारित किया जाता है।

यह वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए सीएमएसएस के वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा के दौरान उठाई गई सीएजी लेखापरीक्षा अनुशंसा के अनुरूप है।

9. पट्टा

पट्टा किराया, पट्टा शर्तों के संदर्भ में व्यय हैं।

10. सेवानिवृत्ति लाभ

- 10.1 कर्मचारी की मृत्यु/सेवानिवृत्ति पर देय उपदान की देयता बीमाकिक मूल्यांकन पर अर्जित की जाती है।
- 10.2 कर्मचारियों के लिए संचित अवकाश नकदीकरण लाभ का प्रावधान इस धारणा पर अर्जित और परिकलित किया जाता है कि कर्मचारी प्रत्येक वर्ष के अंत में लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं, और इसे सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 10 दिनों तक सीमित रखा जाता है।

11. परिवहन शुल्क

- 11.1 विभिन्न कार्यक्रमों के लिए और उनके नाम पर दवाओं/औषधीय वस्तुओं के परिवहन के लिए सोसायटी द्वारा परिवहन शुल्क वहन किया जा रहा है।
- 11.2 इसे वर्तमान संपत्ति के रूप में दर्शाया गया है क्योंकि यह वास्तविक आधार पर संबंधित कार्यक्रम से वसूली योग्य है।

केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय
(एजेंसी सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के XXI के तहत पंजीकृत है, पंजीकरण संख्या S/094/2012 दिनांक 22/03/2012)
रजि. कार्यालय: 502 ए, निर्माण भवन, मौलाना आज़ाद रोड, नई दिल्ली-110001
(पैन AABAC6275F)

लेखाओं का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

अनुसूची 15: आकस्मिक देयताएँ और खातों पर टिप्पणियाँ

1. परिचय

केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी (सीएमएसएस) का गठन 2012 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकरण के माध्यम से किया गया था।

भारत सरकार ने 24.08.2011 को आयोजित अपनी बैठक में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक केंद्रीय खरीद एजेंसी (सीपीए) के रूप में केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी (सीएमएसएस) के गठन को अपनी मंजूरी दी, ताकि पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य क्षेत्र की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की जा सके और आपूर्ति श्रृंखला में दक्षता सुनिश्चित करके आम जनता के लाभ के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र की वस्तुओं को सुविधाजनक स्थानों पर उपलब्ध कराया जा सके।

अपने अधिदेश के अनुसार, सीएमएसएस ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निम्नलिखित कार्यक्रम के लिए औषधीय उत्पादों की खरीद, भंडारण और वितरण किया है:

- क) परिवार कल्याण कार्यक्रम (एफडब्ल्यूपी)।
- ख) राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीवीबीडीसी)।
- ग) राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी)।
- घ) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एनएसीओ)।
- ङ) राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीएचसीपी)।
- च) सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी)।
- छ) दवाओं/औषधियों/चिकित्सा उपकरणों और स्वास्थ्य क्षेत्र की वस्तुओं की गुणवत्ता परीक्षण के लिए परीक्षण प्रयोगशालाओं का पैनलीकरण।

2. अनुपालन विवरण

वित्तीय विवरण भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों और लागू अधिनियमों द्वारा निर्धारित संबंधित कानूनों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

3. आकस्मिक देयताएँ

3.1 संस्था के विरुद्ध दावा, जिसे ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है – ₹ 127.97 करोड़
(पिछले वर्ष – ₹ 111.57 करोड़)

3.2 संस्था द्वारा /की ओर से दी गई बैंक गारंटी – ₹ 0.54 करोड़ (पिछले वर्ष – ₹ 0.54 करोड़)

3.3 विवादित मांग के संबंध में:

क) आयकर – शून्य (पिछले वर्ष – निर्धारण वर्ष 2022-23 के संबंध में ₹ 1344.61 करोड़)

ख) वस्तु एवं सेवा कर – ₹ 252.63 करोड़ (पिछले वर्ष – ₹ 1.63 करोड़)



लेखाओं का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ
31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

अनुसूची 15: आकस्मिक देयताएं और खातों पर टिप्पणियाँ

क्रम सं.	जीएसटी प्राधिकरण (राज्य)	विषय-वस्तु वर्तमान	स्थिति का संक्षिप्त विवरण
1	अहमदाबाद (गुजरात)	सहायक आयुक्त द्वारा दिनांक 06.08.2019 को फॉर्म डीआरसी-07 में आदेश पारित किया गया जिसमें वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 64,01,610/- रुपये (ब्याज और जुर्माना सहित) की मांग की गई।	सीएमएसएस द्वारा दायर अपील को डीसी अपील-1, डिवीजन-01, अहमदाबाद, गुजरात के कार्यालय में आगे की प्रक्रिया के लिए स्वीकार कर लिया गया है।
2	बेंगलुरु (कर्नाटक)	दिनांक 13.01.2025 को अपर आयुक्त (न्यायनिर्णय) द्वारा पारित आदेश में जुलाई-17 से मार्च-2024 तक ₹ 246,18,08,241/- रुपये तथा 18% प्रति वर्ष की दर से लागू ब्याज (जुर्माना सहित) की मांग की गई।	प्रथम अपील जीएसटी प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर करने के लिए उचित कार्रवाई की जा रही है।
3	जयपुर (राजस्थान)	फॉर्म जीएसटी डीआरसी-07 दिनांक 24.04.2024 में आदेश, जिसमें वित्त वर्ष 2018-19 के लिए रिवर्स चार्ज के तहत जीएसटी के बेमेल के खिलाफ ₹40,264/- रुपये की मांग की गई।	प्रस्तुत अपील जीएसटी के पास लंबित है।
4	कोलकाता (पश्चिम बंगाल)	फॉर्म जीएसटी डीआरसी-07 दिनांक 17.05.2023 में आदेश, जिसमें सीएमएसएस को उपलब्ध जीएसटी क्रेडिट और वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्त जीएसटी क्रेडिट की राशि के बेमेल के विरुद्ध ₹6,67,113/- रुपये की मांग की गई।	प्रस्तुत अपील जीएसटी के पास लंबित है।
5	लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	फॉर्म जीएसटी एपीएल-04 दिनांक 12.12.2024 में आयुक्त (अपील) - जीएसटी द्वारा आदेश जारी किया गया है, जिसमें वित्त वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटी (न्यायनिर्णय) द्वारा उठाई गई ₹6,67,113/- रुपये की मांग की पुष्टि की गई है।	जीएसटी न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर करने के लिए उचित कार्रवाई की जा रही है।
6	रांची (झारखंड)	फॉर्म जीएसटी डीआरसी-07 दिनांक 11.02.2025 में आदेश जारी किया गया, जिसमें वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जारी किए गए ई-वे बिल और दाखिल किए गए जीएसटीआर-3बी शून्य के बेमेल के खिलाफ ₹3,34,44,555/- रुपये की मांग की गई।	इस आदेश के विरुद्ध फॉर्म एपीएल 01में अपील प्रस्तुत की गई है

3.4 कानूनी मामले

क्रम सं.	मामला	विषय - वस्तु	संक्षिप्त विवरण
1	डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 686 / 2022 एचआईवी/एड्स से ग्रस्त लोगों का नेटवर्क बनाम यूओआई एवं अन्य (भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष)	— जनहित में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट याचिका; — एचआईवी/एड्स से पीड़ित लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण एआरवी की तत्काल खरीद और वितरण सुनिश्चित करने हेतु एक आपातकालीन खरीद तंत्र स्थापित करने हेतु निर्देश देने की मांग; — अनुच्छेद 21 और 14 के अंतर्गत एचआईवी/एड्स से पीड़ित लोगों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करने हेतु।	यह मामला सी.एम.एस.एस. से स्वतंत्र है तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसे देखा जा रहा है।



लेखाओं का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ
31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

अनुसूची 15: आकस्मिक देयताएं और खातों पर टिप्पणियाँ

क्रम सं.	मामला	विषय – वस्तु	संक्षिप्त विवरण
2	सी.आर.एल.एम.सी. 5340 / 2023 महिपत अंबालाल पटेल बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार) एवं अन्य (दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष)	राज्य बनाम अंबालाल दास पटेल के मामले में विद्वान मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, पटियाला हाउस, नई दिल्ली द्वारा पारित दिनांक 15.03.2023 और 29.07.2019 के आदेश के खिलाफ अपील दायर की गई थी, जिसमें एल.डी. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने चिंता जताई थी और जांच अधिकारी को आगे की जांच करने का निर्देश दिया था।	दिनांक 29.04.2025 के आदेश द्वारा मामला सी.एम.एस.एस. के पक्ष में खारिज कर दिया गया है।
3	डब्ल्यू.पी. (सी) 1018 / 2023 राधा माधव बंदोपाध्याय बनाम केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी (सीएमएसएस) एवं अन्य (दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष)	यह मामला सीएमएसएस के एक पूर्व कर्मचारी – प्रशासनिक अधिकारी से संबंधित है। उन्होंने माननीय न्यायालय से सीएमएसएस द्वारा जारी पत्र संख्या सीएमएसएस/एन/299/667 दिनांक 23.12.2022 को निरस्त करने, बर्खास्तगी के आदेश को रद्द करने और याचिकाकर्ता को सभी परिणामी लाभों के साथ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर बहाल करने का अनुरोध किया है।	– न्यायालय को यह भी बताया गया कि उसने अपने आवेदन में झूठा दावा किया था कि उसे पहले किसी न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया था। – 09.02.2024 को सीएमएसएस के वकील ने माननीय न्यायालय को सूचित किया कि याचिकाकर्ता पहले से ही डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार में कार्यरत हैं। – माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है कि याचिकाकर्ता उक्त पत्र के संबंध में एक हलफनामा दायर करें। – सुनवाई की अंतिम तिथि 20.05.2025 थी और मामला अंतिम सुनवाई के चरण में है।
4	डब्ल्यू.पी.9 (सी) 12724 / 2022 अरुण कुमार गौतम बनाम केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी (सीएमएसएस) (जयपुर उच्च न्यायालय के समक्ष)	यह मामला सीएमएसएस के एक पूर्व कर्मचारी – वैयरहाउस मैनेजर से संबंधित है। याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर कर उच्च न्यायालय से अनुरोध किया है कि वह याचिकाकर्ता के संबंध में सीएमएसएस द्वारा जारी रिलीविंग आदेश को रद्द करने और दिनांक 21.06.2022 की रिक्ति घोषणा को रद्द करने का आदेश पारित करे।	– न्यायालय ने याचिकाकर्ता की परिषद को अनुबंध समझौते को रिकॉर्ड में रखने का निर्देश दिया। – सुनवाई की अंतिम तिथि 12.05.2025 थी और अगली सुनवाई की तिथि माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित की जाएगी।



लेखाओं का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ
31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

अनुसूची 15: आकस्मिक देयताएं और खातों पर टिप्पणियाँ

क्रम सं.	मामला	विषय – वस्तु	संक्षिप्त विवरण
5	डब्ल्यू.पी. (सी) 13838/2023 साधना मोंगा बनाम भारत संघ (दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष)	यह मामला सीएमएसएस के एक पूर्व कर्मचारी – महाप्रबंधक – गुणवत्ता आश्वासन से संबंधित है। याचिकाकर्ता ने माननीय न्यायालय से अनुरोध किया है: - सेवा समाप्ति आदेश को रद्द करने के लिए, - याचिकाकर्ता को महाप्रबंधक (गुणवत्ता एवं आश्वासन) के पद पर बहाल करने के लिए, - बहाली के बाद बकाया वेतन, अर्थात् 06.06.2020 से 05.07.2021 तक वेतन वृद्धि और ब्याज सहित जारी करने के लिए, - दिनांक 18.08.2023 के विज्ञापन के तहत चयन प्रक्रिया को रद्द करने के लिए, और - उचित समझे जाने पर कोई अन्य आदेश पारित करने के लिए।	- न्यायालय ने सीएमएसएस को याचिकाकर्ता को पहली समाप्ति तिथि से लेकर बहाली तिथि तक का 50% बकाया वेतन देने का निर्देश दिया। - माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, सीएमएसएस ने पहली समाप्ति और बहाली आदेश के संबंध में सुश्री मोंगा के खाते में 50% वेतन जमा कर दिया है। - दूसरी समाप्ति पर निर्णय लंबित है। - याचिकाकर्ता द्वारा पुनर्विचार याचिका दायर की गई है और यह न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। - सुनवाई की अंतिम तिथि 07.05.2025 थी और मामला प्रवेश सुनवाई के धरण में है।
6	डब्ल्यू.पी. (सी) 1853/2018 मेसर्स वाइटल हेल्थ केयर (प्रा.) लिमिटेड बनाम सीएमएसएस एवं अन्य (दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष नियमित मामला)	- मेसर्स वाइटल हेल्थ केयर (प्रा.) लिमिटेड को निविदा नियमों और शर्तों का उल्लंघन करने के कारण केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसायटी (सीएमएसएस) द्वारा काली सूची में डाल दिया गया है। - याचिकाकर्ता ने सीएमएसएस द्वारा पारित काली सूची में डालने के आदेश को चुनौती दी है।	- दिनांक 24.04.2023 – वर्तमान रिट याचिका को बहाल करने के अनुरोध वाली याचिकाकर्ता की अर्जी स्वीकार की जाती है और याचिका को नियमित मामलों की श्रेणी में सूचीबद्ध किया जाता है। - यह मामला अभी माननीय न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध नहीं है।
7	मध्यस्थता पृष्ठ 431 2021 मेसर्स सेंचुरियन लैबोरेटरीज, सेंचुरियन रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड का प्रभाग बनाम सेंट्रल मेडिकल सर्विस सोसाइटी (मध्यस्थ के समक्ष)	- मेसर्स सेंचुरियन लैबोरेटरीज, सेंचुरियन रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड के प्रभाग को निविदा नियमों और शर्तों का उल्लंघन करने के कारण काली सूची में डाल दिया गया है और सेंट्रल मेडिकल सर्विस सोसाइटी (सीएमएसएस) द्वारा पीबीजी जफ्त कर लिया गया है। - याचिकाकर्ता ने सीएमएसएस द्वारा पारित काली सूची में डालने और निष्पादन बैंक गारंटी जफ्त करने के आदेश को चुनौती दी है।	₹ 99,15,718.94/- रुपये का अंतिम निर्णय। दावेदार उक्त राशि पर 20.01.2021 से, अर्थात् मध्यस्थता हेतु नोटिस जारी करने की तिथि से लेकर भुगतान की तिथि तक, 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज पाने का भी हकदार होगा। यह निर्णय मध्यस्थ द्वारा 28.11.2024 को जारी किया गया है। आलोचना की गई अंतिम निर्णय को सीएमएसएस द्वारा मटियाला हाउस कोर्ट के वाणिज्यिक न्यायालय में चुनौती दी गई है और न्यायालय ने इसे स्वीकार कर लिया है (नीचे क्रम संख्या 18 देखें)।



लेखाओं का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ
31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

अनुसूची 15: आकस्मिक देयताएं और खातों पर टिप्पणियाँ

क्रम सं.	मामला	विषय - वस्तु	संक्षिप्त विवरण
8	मध्यस्थता पी 1278 2022 मेसर्स सेंचुरियन लैबोरेटरीज, सेंचुरियन रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड का प्रभाग बनाम सेंट्रल मेडिकल सर्विस सोसाइटी (मध्यस्थ के समक्ष)	मेसर्स सेंचुरियन को दिनांक 06.09.2022 को संशोधित क्रय आदेश जारी किया गया। जवाब में, मेसर्स सेंचुरियन ने तर्क दिया कि संशोधित क्रय आदेश संबंधी ईमेल प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा, उसने मूल क्रय आदेश के विरुद्ध पूर्ण भुगतान की भी मांग की है।	- सेंचुरियन ने सीएमएसएस के खिलाफ मध्यस्थता आवेदन दायर किया है जिसमें पीओ का पूरा मूल्य यानी ₹111,03,80,679 रुपये और भुगतान तक 12% ब्याज की मांग की गई है। - अब तक मध्यस्थ के समक्ष सभी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। - सुनवाई की अंतिम तिथि 09-03-2025 थी और मध्यस्थ ने अंतिम निर्णय सुरक्षित रख लिया है।
9	आपराधिक मामला/6573/2019 राज्य बनाम अंबालाल दास पटेल (पटियाला न्यायालय के समक्ष)	मामला सीएमएसएस द्वारा मेसर्स सेंचुरियन और मेसर्स सेंचुरियन के निदेशकों के खिलाफ निविदा में जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए एफआईआर दर्ज करने से संबंधित है।	- 03.08.2023 को मामले की सुनवाई स्थगित कर दी गई क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सीएमएसएस के दिनांक 15.03.2023 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका दायर की गई थी, जिसमें जांच अधिकारी को आगे की जांच करने का निर्देश दिया गया था। - आगे की जांच अभी भी जारी है और अगली सुनवाई की तारीख 17.07.2025 है।
10	आर.जे/02/ आर.जे.एस/01017 मेसर्स भारत मिनरल एंड केमिकल इंडस्ट्रीज बनाम भारत संघ एवं अन्य [सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद (एमएसईएफसी) के समक्ष]	- एमएसईएफसी द्वारा 12.11.2021 को याचिकाकर्ता के पक्ष में मध्यस्थता निर्णय पारित किया गया। - सीएमएसएस द्वारा निर्णय को चुनौती देने के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 36 के तहत अपील दायर की गई है।	- अनुपालन में सीएमएसएस द्वारा ₹7,95,41,625/- रुपये (अर्थात्, अधिनिर्णय राशि का 75%) की राशि डिमांड ड्राफ्ट के रूप में अनिवार्य पूर्व-जमा राशि के रूप में प्रेषित की गई है। - दिनांक 21.10.2024 को, प्रमुख वाणिज्यिक न्यायालय, जयपुर-4, राजस्थान ने जमा राशि के 70% अर्थात् ₹ 5,56,79,137/- रुपये की आंशिक रिहाई के लिए एक अंतरिम आदेश (जिसे आगे आक्षेपित आदेश कहा जाएगा) जारी किया है, बशर्ते कि मूल्यांकन के बाद समतुल्य राशि के अवल संपत्ति के मूल स्वामित्व दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएं। - आक्षेपित अंतिम आदेश को भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 (नीचे क्रम संख्या 19 देखें) के अंतर्गत राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के समक्ष चुनौती दी गई है।



लेखाओं का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ
31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

अनुसूची 15: आकस्मिक देयताएं और खातों पर टिप्पणियाँ

क्रम सं.	मामला	विषय – वस्तु	संक्षिप्त विवरण
11	ओएमपी (वाणिज्यिक)/82/2024 सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसाइटी बनाम डायग्नोस्कोर (पटियाला हाउस कोर्ट के वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष)	- विचाराधीन मामला मध्यस्थता न्यायाधिकरण स्तर पर सीएमएसएस के विरुद्ध प्रतिकूल निर्णय के साथ अंतिम रूप से निपटाया गया है। - इसे मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के अंतर्गत पटियाला हाउस न्यायालय में याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई है।	- भुगतान न करने के संबंध में सीएमएसएस को प्राप्त नोटिस के प्रत्युत्तर में, सीएमएसएस ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को कुल ₹ 1.82 करोड़ का भुगतान पहले ही किया जा चुका है और केवल ₹ 0.36 करोड़ शेष हैं, जिसके लिए याचिकाकर्ता की ओर से चालान प्रस्तुत करना लंबित है। - उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद, एमएसईएफसी ने 20.12.2023 को याचिकाकर्ता के पक्ष में ₹ 65,71,390 की राशि का अपना अधिनिर्णय आदेश पारित किया। - सीएमएसएस द्वारा पटियाला हाउस न्यायालय में अपील दायर की गई है। सुनवाई की अंतिम तिथि 10.06.2025 थी और अगली सुनवाई माननीय न्यायालय द्वारा की जाएगी।
12	डब्ल्यू.पी. (सी) 10387/2024 सेंचुरियन लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड, निदेशक प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से बनाम सीएमएसएस [डब्ल्यू.पी. (सी) 10920/2024 से संबंधित मामला] (दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष)	- मेसर्स सेंचुरियन लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सीएमएसएस के दिनांक 12.07.2024 के कारण बताओ नोटिस के विरुद्ध दायर वर्तमान सिविल रिट याचिका। - इस मामले में संबंधित निविदा सीएमएसएस/पीआरओसी/2023-24/एनटीईपी/042 है, जो डीएसटीबी रेजिमेंस (डीएसटीबी-आईपी-ए, डीएसटीबी-सीपी-ए, डीएसटीबी-सीपी-पी) की खरीद के लिए प्रदान की गई है।	- याचिकाकर्ता ने 12.07.2024 के एससीएन को रद्द करने और सीएमएसएस को अन्य निविदाओं का भुगतान न करने के एवज में ₹ 110,042,154/- रुपये जारी करने का निर्देश देने की मांग की। - मामला प्रवेश सुनवाई के चरण में है। - सुनवाई की अंतिम तिथि 04.02.2025 थी और अगली सुनवाई की तिथि 08.07.2025 है।
13	डब्ल्यू.पी. (सी) 10920/2024 सेंचुरियन लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड, निदेशक प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से बनाम सीएमएसएस एवं अन्य (दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष)	- मेसर्स सेंचुरियन लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सीएमएसएस के दिनांक 29.07.2024 के ब्लैकलिस्टिंग आदेश के विरुद्ध एक और सिविल रिट याचिका दायर की गई। - इस मामले में संबंधित निविदा सीएमएसएस/पीआरओसी/2023-24/एनटीईपी/042 है, जो डीएसटीबी रेजिमेंस (डीएसटीबी-आईपी-ए, डीएसटीबी-सीपी-ए, डीएसटीबी-सीपी-पी) की खरीद के लिए प्रदान की गई है।	- याचिकाकर्ता ने 29.07.2024 के ब्लैकलिस्टिंग आदेश को रद्द करने की मांग की है। - मामला प्रवेश सुनवाई के चरण में है। - सुनवाई की अंतिम तिथि 04.02.2025 थी और अगली सुनवाई की तिथि 08.07.2025 है।



लेखाओं का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ
31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

अनुसूची 15: आकस्मिक देयताएं और खातों पर टिप्पणियाँ

क्रम सं.	मामला	विषय - वस्तु	संक्षिप्त विवरण
14	डब्ल्यू.पी. (सी) 6999/2024 थेमिस मेडिकेयर लिमिटेड एवं अन्य बनाम सेंट्रल मेडिकल सर्विस सोसाइटी एवं अन्य (दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष)	मेसर्स थेमिस मेडिकेयर (याचिकाकर्ता) ने सीएमएसएस/पीआरओसी/2024-25/एनटीईपी/019 की निविदा प्रक्रिया में रिफापेन्टाइन 150 मिलीग्राम की खरीद के लिए मेसर्स जे. डंकन (प्रतिवादी 3) और मेसर्स सेंचुरियन लैबोरेटरीज (प्रतिवादी 4) की बोलियों को स्वीकार करने में सीएमएसएस की कार्रवाई से व्यथित होकर दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।	- याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी 3 और प्रतिवादी 4 को दिए गए स्वीकृति पत्र (एलओए) और उसके बाद जारी क्रय आदेशों (पीओ) को रद्द करने और सार्वजनिक खरीद के लिए संबंधित निविदा को पुनः जारी करने की मांग की है। - मामला प्रवेश सुनवाई के चरण में है। सुनवाई की अंतिम तिथि 29.04.2025 थी और अगली सुनवाई की तिथि 05.08.2025 है।
15	डब्ल्यू.पी.(एमडी) सं. 10729/2024 तमिलनाडु एचडीपीई निटेड फ़ैब्रिक्स एमएफआरएस एसोसिएशन बनाम सचिव, केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड एवं पंजीकरण समिति एवं अन्य (बीकेए पॉलिमर्स) (मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष)	इस मामले में, वर्तमान याचिका मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ के समक्ष दायर की गई है, जिसमें मुख्य मुद्दा सरकारी निविदाओं में भाग लेने के लिए बीकेए पॉलिमर्स की पात्रता से संबंधित है।	इस मामले में सीएमएसएस प्रतिवादी संख्या 2 है। इसके बावजूद, सीएमएसएस के हित किसी भी तरह से दांव पर नहीं हैं क्योंकि हम मुख्य पक्ष नहीं हैं।
16	डीएस/5753/12/22 मेसर्स रेक्सन प्रोडक्ट्स इंडिया बनाम सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसाइटी (मध्यस्थ के समक्ष)	- मेसर्स रेक्सन को अल्कोहल स्टैम थर्मामीटर की आपूर्ति हेतु निविदा संख्या सीएमएसएस/पीआरओसी/2018-19/026 प्रदान की गई। - बाद में, आपूर्ति की गई मात्रा परीक्षण रिपोर्ट में विफल पाई गई। - दावेदार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 18(1) के प्रावधान के तहत एमएसएमईएफ परिषद के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया। - हालाँकि, पक्षों के बीच सुलह के प्रयास असफल रहे। - इसके अलावा, बार-बार प्रयास के बावजूद दावेदार द्वारा छैफ माल को प्रतिस्थापित न करने के कारण 30.11.2021 को ब्लैकलिस्टिंग आदेश जारी किया गया। - आपूर्ति की गई सामग्री का भुगतान न करने और ब्लैकलिस्टिंग के कारण व्याज, सद्भावना और क्षति के रूप में हुए नुकसान के विरुद्ध एक मध्यस्थता याचिका दायर की गई है।	- याचिकाकर्ता ने भुगतान की तिथि तक 21% व्याज सहित कुल ₹ 1,43,06,671/- की वित्तीय राहत और मध्यस्थता की लागत ₹9,73,066/- रुपये की मांग की। - सुनवाई की अंतिम तिथि 12.03.2025 थी और मामला मध्यस्थ द्वारा अंतिम निर्णय के लिए आरक्षित है।



लेखाओं का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ
31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

अनुसूची 15: आकस्मिक देयताएं और खातों पर टिप्पणियाँ

क्रम सं.	मामला	विषय – वस्तु	संक्षिप्त विवरण
17	एसएलपी (सी) संख्या 20727/2024 एलपीए 674/2024 डब्ल्यू.पी. (सी) 8630/2024 मेसर्स जे. डंकन हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड बनाम सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसाइटी (भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष)	यह याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत प्रतिवादी सीएमएसएस द्वारा पारित दिनांक 22.05.2024 को ब्लैकलिस्टिंग आदेश को रद्द करने, 7 क्रय आदेशों को समाप्त करने वाले दिनांक 06.06.2024 और 07.06.2024 के रद्दीकरण आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई थी।	- मेसर्स जे. डंकन ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा एलपीए संख्या 674/2024 में पारित दिनांक 14.08.2024 के विवादित निर्णय और अंतिम आदेश के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एसएलपी (सी) संख्या 20727/2024 दायर की। - उक्त एसएलपी (सी) न्यायालय संख्या 1 में सूचीबद्ध है, जिसमें कोरम (जिसमें माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री डी.वाई. चंद्रचूड़, माननीय न्यायमूर्ति श्री जे.बी. पारदीवाला और माननीय न्यायमूर्ति श्री मनोज मिश्रा शामिल हैं) संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत एसएलपी पर विचार करने के इच्छुक नहीं थे। तदनुसार, एसएलपी खारिज की जाती है।
18	ओएमपी (वाणिज्यिक)/40/2025 सीएमएसएस बनाम मेसर्स सेंचुरियन लैबोरेटरीज, सेंचुरियन रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड प्रभाग (पटियाला हाउस कोर्ट के वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष)	- उपरोक्त क्रम संख्या 7 देखें। - मध्यस्थता निर्णय सेंचुरियन के पक्ष में पारित किया गया। - अंतिम निर्णय को सीएमएसएस द्वारा पटियाला हाउस कोर्ट के वाणिज्यिक न्यायालय में चुनौती दी गई है।	- मध्यस्थता न्यायाधिकरण स्तर पर, सेंचुरियन को अनुकूल आदेश प्राप्त हुआ। - सीएमएसएस ने तर्क में त्रुटि पाते हुए, पटियाला हाउस कोर्ट के वाणिज्यिक न्यायालय में विवादित आदेश को चुनौती दी। - 28.03.2025 को – सीएमएसएस को अनुकूल अंतरिम आदेश प्राप्त हुआ। - मामले की स्वीकृति के लिए मौखिक और लिखित प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत की गई हैं। सुनवाई की अंतिम तिथि 27.05.2025 थी और अगली सुनवाई की तिथि 10.09.2025 है।
19	एसएलपी (सी) 5003/2025 सीएमएसएस बनाम राज माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज और भारत मिनरल एंड केमिकल इंडस्ट्रीज (राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के समक्ष)	- उपरोक्त क्रम संख्या 10 देखें। - एमएसईएफसी द्वारा 12.11.2021 को याचिकाकर्ता के पक्ष में मध्यस्थता निर्णय पारित किया गया। - सीएमएसएस द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1998 की धारा 34 के तहत राजस्थान उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक न्यायालय में 10.60 करोड़ रुपये के मध्यस्थता निर्णय को चुनौती देते हुए स्थगन आवेदन दायर किया गया।	- मामले की स्वीकृति के लिए मौखिक और लिखित प्रस्तुतियाँ दाखिल की गई हैं। - सुनवाई की अंतिम तिथि 19.05.2025 थी और अगली सुनवाई की तिथि अभी जारी नहीं की गई है।



लेखाओं का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ
31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

अनुसूची 15: आकस्मिक देयताएं और खातों पर टिप्पणियाँ

4. वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम

प्रबंधन की राय में, चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों का व्यवसाय के सामान्य क्रम में प्राप्ति पर मूल्य होता है, जो कम से कम बैलेंस शीट में दर्शाई गई कुल राशि के बराबर होता है।

5. इन्वेंटरी

5.1

		(राशि करोड़ में)	
क्र.सं.	विवरण	2024-25	2023-24
क)	वर्ष के अंत में तैयार माल के स्टॉक-इन-ट्रेड का मूल्य	600.24	501.63
ख)	वर्ष की शुरुआत में एक्सपायर हो चुकी दवाओं का मूल्य	76.26	66.62
ग)	वर्ष के दौरान एक्सपायर हो चुकी दवाओं का मूल्य	0.01	10.53
घ)	वर्ष के अंत में एक्सपायर हो चुकी दवाओं का मूल्य	76.27	77.15
ङ)	वर्ष के दौरान निपटाई गई एक्सपायर हो चुकी दवाओं का मूल्य	2.24	0.89
च)	वर्ष के अंत में निपटान के बाद एक्सपायर हो चुकी दवाओं का मूल्य [(घ)-(ङ)]	74.03	76.26

5.2 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के संबंधित कार्यक्रम प्रभागों से ₹ 15.45 करोड़ मूल्य की एक्सपायर हो चुकी दवाओं के निपटान हेतु सीएमएसएस को अनुमोदन प्राप्त हो गया है। ₹ 9.34 करोड़ मूल्य की दवाओं अर्थात ₹ 15.45 करोड़ – ₹ 2.24 करोड़ (वित्त वर्ष 2024-25) – ₹ 3.87 करोड़ (वित्त वर्ष 2023-24 तक), का निपटान सीएमएसएस द्वारा चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है।

5.3 अखिल भारतीय स्तर पर सभी 18 गोदामों के लिए इन्वेंट्री प्रबंधन ई-औषधि एप्लिकेशन के माध्यम से किया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान सभी गोदामों (18) की इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन किया गया है।

6. कराधान

आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर योग्य आय न होने के कारण, आयकर के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है।

7. सामान्य जानकारी

7.1 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की औषधि आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सोसाइटी के पास अखिल भारतीय स्तर पर 18 गोदाम हैं। इनमें से 15 गोदाम केंद्रीय भंडारण निगम लिमिटेड से पट्टे पर लिए गए हैं और शेष 3 गोदाम निजी संस्थाओं से किराए पर लिए गए हैं।

प्रबंधन की राय में, इन गोदामों का औषधियों के भंडारण हेतु उचित रखरखाव किया जा रहा है।

7.2 सोसाइटी, मौजूदा गुणवत्ता नीति के अनुसार खरीदी गई सभी दवाओं की विशिष्ट गुणवत्ता जाँच का अनुपालन सुनिश्चित करती है।

सार्वजनिक औषधि खरीद/आपूर्ति प्रणाली में गुणवत्ता आश्वासन (क्यूए) का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि रोगी तक पहुँचने वाली प्रत्येक दवा/उत्पाद वांछित/मानक गुणवत्ता की हो। इसलिए, नमूनों की जाँच के लिए जैसे आईपीसी, सीडीटीएल, एनआईएमआर, एम्स, सीआईपीईटी, ईएफआरएसीएल, ईक्यूडीसी, अब्रो, श्री राम, आईआईबीएटी और आरएमआरआईएमएस जैसी शीर्ष स्तरीय सरकारी प्रयोगशालाओं को सूचीबद्ध किया गया है।

8. पिछले वर्ष के संगत आंकड़ों को, जहाँ भी आवश्यक हो, पुनः समूहीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।
9. अनुसूची 1 से 15 संलग्न हैं और 31 मार्च, 2025 तक की बैलेंस शीट और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाते का एक अभिन्न अंग हैं।

केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी
की ओर से

हस्ता/-
(देवव्रत महापात्र)
महाप्रबंधक (वित्त)



हस्ता/-
(विजय नेहरा)
डीजी एवं सीईओ

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 27 जून 2025



Central Medical Services Society

Department of Health & Family Welfare
Ministry of Health & Family Welfare
Government of India